मध्यप्रदेश पंचायिका

मई 2013

प्रबंध सम्पादक

रघुवीर श्रीवास्तव

सम्पादक

राजीव तिवारी

भगवान दास भुमरकर

समन्वय

सुरेश तिवारी

आकल्पन

आशा रोमन

हेमंत वायंगणकर

वेबसाइट

आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग

अल्पना राठौर

एक प्रति : बीस रुपये

वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क

मध्यप्रदेश पंचायिका

मध्यप्रदेश माध्यम

40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल

भोपाल-462011

फोन : 2764742, 2551330

फैक्स : 0755-4228409

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में

भोपाल में मनरेगा पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान।

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव और अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा।

साक्षात्कार : गाँवों की तस्वीर बदलना हमारा लक्ष्य 03

विभागीय गतिविधियाँ : मनरेगा गरीब मजदूरों के लिये वरदान - मुख्यमंत्री 05

पुस्तक चर्चा : सर्वहारा वर्ग की योजनाओं पर दो उपयोगी फोल्डर 10

आवरण कथा : गाँवों के विकास के लिए पूरी होंगी बुनियादी जरूरतें 11

पंचायत गजट : पंच-परमेश्वर योजना में कराये जाने वाले कार्यों के दिशा-निर्देश 15

कानून चर्चा : जनपद एवं जिला पंचायतों की वार्षिक रिपोर्ट 24

प्रशिक्षण : जनपद पंचायत के अधिकार, कर्तव्य एवं कार्यक्रम 27

महत्वपूर्ण खबरें : खनिज राजस्व : लक्ष्य से ज्यादा2900 करोड़ प्राप्त 29

खास खबरें : रेल्वे सुविधाओं में पिछड़े राज्यों को मिले वरीयता 31

राष्ट्रीय पंचायत दिवस : पंचायतों के सशक्तीकरण का संकल्प दोहराया 35

विशेष : पुनासा का कृषि व्यवसाय नई करवट लेगा 37

उपलब्धि : रिजफरो पद्धति से फसल उत्पादन डेढ़ गुना बढ़ा 39

दृश्य-परिदृश्य : अत्याधुनिक चिकित्सा इकाईयों का हुआ लोकार्पण 41

योजना : शिक्षित बेरोजगारों के लिए दीनदयाल रोजगार योजना 43

खेती किसानी : गर्मियों के महीने में सिंचाई जल की बचत ऐसे करें 45

आपकी बात : गाँवों में चौबीसों घण्टे बिजली वरदान है 47

आयुक्त की कलम से

प्रिय पाठकों,

विगत दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर आयोजित कार्यशाला में कहा कि मनरेगा गरीब मजदूरों के लिये वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई आती है तो उसे तुरन्त दूर करना चाहिये। इस योजना में समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं होना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिये मध्यप्रदेश में अल्ट्रा बैंकिंग इकाई और मोबाईल बैंकिंग की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि को मनरेगा से जोड़ने पर इसका लाभ बढ़ जायेगा। इसी खबर को हमने 'विभागीय गतिविधियाँ' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास के लिये चलाई जा रही योजनाओं का लक्ष्य गाँवों का विकास करना है। ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी कड़ी हैं। इसी जानकारी को हमने 'आवरण कथा' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। पंचायत राज संचालनालय द्वारा प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक कार्यों के लिये राशि उपलब्ध कराई जाती है। ग्राम पंचायतों को योजनान्तर्गत जो राशि प्रदान की गई है उस राशि का उपयोग किन कार्यों में किया गया उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना अनिवार्य है। इसी जानकारी को हमने 'पंचायत गजट' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में पंचायत राज संस्थाओं के वार्षिक लेख एवं प्रशासन रिपोर्ट तैयार किये जाने का उल्लेख है। 'कानून चर्चा' स्तम्भ में इसी जानकारी को प्रकाशित किया गया है। 'प्रशिक्षण' स्तम्भ में जनपद पंचायत को अपने कार्य संचालन के लिये अधिकार और दायित्व सौंपे गये हैं। शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अपने क्षेत्र में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जनपद पंचायत की होती है। जनपद पंचायत द्वारा इन योजनाओं का क्रियान्वयन के लिये कार्यक्रम बनाया जाता है। विगत दिनों भोपाल में भोपाल-बीना-भोपाल मेमू ट्रेन का शुभारम्भ करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि त्वरित गति की इस ट्रेन से यात्रियों को सुविधा होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रेल सुविधाओं के मामले में जो राज्य पिछड़ रहे हैं उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए। इस ट्रेन के शुरू होने से जनता को राहत मिलेगी। इसी खबर को हमने 'खास खबरें' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही हितग्राहीमूलक योजनाओं और क्रियान्वयन की जानकारी को 'उपलब्धि' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित जयप्रकाश अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा इकाईयों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों से बेहतर बनाने की प्रक्रिया जारी है। इसी जानकारी को हमने 'दृश्य परिदृश्य' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। इस माह 'योजना' स्तम्भ में शिक्षित बेरोजगारों के लिये चलाई जा रही दीनदयाल रोजगार योजना की जानकारी प्रकाशित की जा रही है। गर्मियों के मौसम में अधिकांश जलस्रोतों का जल स्तर काफी नीचे आ जाता है। ऐसे में ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई के लिये पर्याप्त जल प्रबंधन करना जरूरी है। इस जानकारी को हमने 'खेती किसानी' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। और अंत में आपके पत्रों को 'आपकी बात' स्तम्भ में प्रकाशित किया गया है। यह पत्र हमें अपनी गल्तियों और योजनाओं का फीडबैक देते हैं। यदि आप भी पत्रिका के माध्यम से कोई सुझाव या जानकारी देना चाहते हैं तो आपके सुझावों का स्वागत है। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा।

(रघुवीर श्रीवास्तव)

गाँवों की तस्वीर बदलना हमारा लक्ष्य

❑ गोपाल भार्गव

मेरा हमेशा यह मानना रहा है कि ग्राम पंचायतों में पदस्थ कर्मचारी ही अपनी मेहनत और कर्मठता से गाँव की तस्वीर बदल सकते हैं। इस समय ग्राम विकास योजनाओं को गति देने में ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रोज़गार सहायक की भूमिका महत्वपूर्ण है और मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे अनुकरणीय कार्य करें कि देश के विभिन्न प्रान्त हमारे विकास के मॉडल से प्रेरणा ले सकें।

प्रदेश की मौजूदा सरकार ने ग्रामीण विकास को अपनी प्राथमिकता के क्रम में सबसे ऊपर रखा है और पिछले लगभग दस सालों में गाँव की तस्वीर एकदम बदल गई है। इस बदलाव का संकल्प लिया था प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने और उसे साकार किया प्रदेश की त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने। प्रदेश में गाँवों के विकास में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव का अवदान भी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और उनके अथक प्रयासों से ही आज गाँवों में ऐसा बदलाव आया है कि गाँव अब गाँव लगते ही नहीं हैं। क्या है गाँव के बदलाव की पृष्ठभूमि इस एक विषय पर और ग्रामीण विकास से जुड़े अन्य विषयों पर भी हमने पिछले दिनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव से बातचीत की। प्रस्तुत हैं इसी बातचीत के सम्पादित अंश।

गाँवों का इन दिनों इतना विकास हुआ है कि गाँव, अब गाँव लगते ही नहीं हैं। क्या है इस बदलाव का तात्पर्य? क्या यह मौजूदा सरकार की ग्रामीण विकास नीतियों का नतीजा है?

यकीनन, इस बदलाव का कारण हमारी सरकार की ग्रामीण विकास नीतियाँ, उनका प्रभावी क्रियान्वयन और प्रदेश के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यदक्षता ही है। पिछले दिनों जब मैंने एक सरकारी खबर के शीर्षक में यह जुमला पढ़ा कि - "अब पहचान में नहीं आते गाँव"- तो लगा क्या वाकई गाँव इस हद तक बदल गए हैं? फिर जब विभागीय समीक्षा बैठकों और परामर्शदात्री बैठकों में विकास की वस्तुस्थिति को जाना समझा तो लगा कि अब गाँव वो नहीं रहे जहाँ टेलीफोन लगना भी तरक्की की मिसाल मानी जाती थी अब तो गाँव-गाँव तक 'इण्टरनेट' की सुविधाएं पहुंचनी शुरू हो गई हैं और एक क्लिक पर गाँव का सरपंच, माननीय मुख्यमंत्री अथवा विभागीय मंत्री यानी मुझसे रूबरू हो सकेगा। मनरेगा योजना में भी प्रत्येक पंचायत को लैपटॉप से सुसज्जित किया जा रहा है। इसके तहत पहले चरण में8 हजार पंचायतों को लैपटॉप देने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सच तो यह है 'पंच परमेश्वर' योजना ने ग्रामीण विकास का स्वरूप ही बदल दिया है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास आसान हो गया है जिससे गाँव में विकास के अर्थ ही बदल गए हैं। अब गाँवों में सीमेन्ट कांक्रीट सड़कों का निर्माण इतना सुगम हो गया है कि बीते कल की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियों के लिए होने वाली भागमभाग एक दु:स्वप्न-सी बात लगती है।

संचार साधनों के तेजी से विकास के इस दौर में आप प्रदेश की पंचायतों का क्या भविष्य देखते हैं?

संचार साधनों के विकास की स्थिति से हम भलीभांति परिचित हैं और हम पंचायतों की ई-कनेक्टिविटी के लिए तेजी से काम कर रहे हैं और निकट भविष्य में ही हम प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को संचार-क्रांति के अनुकूल बना देंगे। ई-पंचायत कार्यक्रम भी इसी दिशा में एक प्रभावी कदम है। राज्य शासन ने हाल ही में ई-पंचायत कार्यक्रम के अंतर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर और अन्य जरूरी सामग्री की खरीदी के लिए बाईस हजार उनसठ ग्राम पंचायतों को दो अरब बीस करोड़ उनसठ लाख रुपयों का आवण्टन सौंपा गया है। इसके पूर्व जनवरी 2013 में नौ सौ सैंतालीस ग्राम पंचायतों को इसी प्रयोजन से नौ करोड़ सैंतालीस लाख रुपयों की सहायता दी जा चुकी है। इधर 'मनरेगा' में भी मजदूरी के समय पर भुगतान लिए ई-पेमेन्ट की व्यवस्था लागू की है। हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायतें शीघ्र ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में सक्षम हो जायें ताकि ग्राम पंचायत स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग सुविधा कायम हो सके।

माननीय मुख्यमंत्री जी और आपकी छवि कर्मचारी-

हितैषी नेता की बन रही है क्या वित्तीय दबावों के बीच यह सरकार-कर्मचारी सह अस्तित्व का रिश्ता कायम रह पायेगा?

सरकार और कर्मचारीगण तो प्रशासनिक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पंचायतों के कार्य संचालन में अरसे तक न्यूनतम वेतन पाने वाले पंचायतकर्मी ही प्रमुख होते थे। हमारी सरकार ने जब पंचायतों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुव्यवस्थित कैडर बनाने की पहल - "कर्मी संस्कृति" को समाप्त कर आरम्भ की तो हमने उन्हें पंचायत सचिव का नाम भी दिया और उनकी कार्य संस्कृति में भी भारी बदलाव किया। हाल ही में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी पंचायत सचिवों को अंशदायी पेन्शन योजना में शामिल करने का निश्चय करके उनका मनोबल बढ़ाया है। हम यह मानते हैं ग्राम पंचायत सचिव मील का पत्थर होते हैं और पंचायत सचिवों के सहयोग से ही गाँव की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। इतना ही नहीं हम तो यह भी मानते हैं कि सरपंच और सचिव गांव के विकास के दो पहिये हैं और इन दोनों के समर्पण और निष्ठा से ही गाँवों की कायापलट हो सकती है।

'मनरेगा' के क्रियान्वयन में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर राज्य शासन पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं। क्या है इन आरोपों का सच या फिर ये राजनैतिक हितसाधन का एक साधन है?

'मनरेगा' को लेकर हम आरम्भ से ही सचेत रहे हैं। जब भी और जहाँ भी 'मनरेगा' को लेकर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हम पर लगे हैं हमने तत्काल इन आरोपों की जाँच के आदेश दिये हैं। हमारा वादा है कि 'मनरेगा' में किसी भी अधिकारी अथवा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर यदि भ्रष्टाचार अथवा वित्तीय अनियमितता का आरोप यदि सिद्ध हुआ तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। मनरेगा में शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए लोकपाल नियुक्त कर दिये गये हैं। भारत सरकार ने हाल ही में एक अप्रैल से मनरेगा की दैनिक मजदूरी भी प्रचलित दर में दस प्रतिशत इजाफा कर प्रतिदिन एक सौ छियालिस रुपये कर दी गई है। 'मनरेगा' में हम इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम का भी व्यापक प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसी प्रकार मनरेगा में लेबर बजट की उपलब्धि पर प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रबंध किया है। असल में 'मनरेगा' को लेकर हमारी सरकार की आलोचना केवल कतिपय आलोचकों की सियासी रणनीति का ही एक हिस्सा है।

गाँवों में उद्यमिता और स्वरोजगार की दिशा में जो प्रयत्न किये जा रहे हैं क्या उसमें कुछ नवाचार जोड़ा गया है? क्या उस नवाचार से ग्रामीणों को लाभ होगा?

गाँवों में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य शासन ने इन दिनों काफी परियोजनाएं आरम्भ की हैं। सरकार द्वारा गाँवों में उद्यमिता के विकास के साथ-साथ कौशल विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बारे में यह संकेत दिया है कि जल्दी ही गाँवों में लघु उद्योगों का जाल फैलाया जा रहा है। रही बात नवाचार की तो पिछले दिनों डी.पी.आई.पी. समूहों को बचत और निवेश की ओर प्रेरित करने के लिए स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने "जोखिम सुरक्षा निधि" बनाने को भी प्रेरित किया है। बुन्देलखण्ड जिले के सुदूरवर्ती गाँवों में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने अभी तक प्रति महिला तीन-तीन सौ रुपयों के सदस्यता शुल्क के साथ पन्द्रह लाख रुपये निधि में जमा कर लिए हैं।

आप अक्सर कहते हैं कि पंचायत विभाग के मैदानी कर्मचारी ही पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज के सपने को साकार कर सकते हैं। इस वर्ग से आप क्या कहना चाहेंगे?

मेरा हमेशा यह मानना रहा है कि ग्राम पंचायतों में पदस्थ कर्मचारी ही अपनी मेहनत और कर्मठता से गाँव की तस्वीर बदल सकते हैं। इस समय ग्राम विकास योजनाओं को गति देने में ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक की भूमिका महत्वपूर्ण है और मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे अनुकरणीय कार्य करें कि देश के विभिन्न प्रान्त हमारे विकास के मॉडल से प्रेरणा ले सकें। विभाग के मैदानी कर्मचारियों से मेरी यह अपेक्षा भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सरकारी अमले की माँगों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं और विभागीय कर्मचारियों की सभी जायज माँगें हम पूरी करेंगे मगर साथ ही मेरी अपेक्षा यह रहेगी कि वे अपनी माँगों के लिए बातचीत का रास्ता ही अपनायें आन्दोलन का नहीं। आन्दोलन से समस्या का समाधान नहीं होता है।

❑ मोहन सिंह पाल

मनरेगा गरीब मजदूरों के लिये वरदान - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा पर आयोजित एक कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि मनरेगा गरीब मजदूरों के लिये वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को श्रमिकों के लिये अधिक उपयोगी बनाया जाना चाहिए। योजना में समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं होना सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिये अल्ट्रा बैंकिंग इकाई और मोबाईल बैंकिंग की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा को श्रमिकों के लिये अधिक उपयोगी बनाया जाना चाहिये। मनरेगा के माध्यम से श्रमिकों के हाथों में हुनर दिया जाये तो वे ज्यादा कमायेंगे। यह आम जनता के कल्याण के लिये बड़ा योगदान होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिनों मनरेगा-उपलब्धियां, चुनौतियों और अवसर विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में उपस्थित केन्द्रीय योजना आयोग के सदस्य डॉ. मिहिर शाह ने मनरेगा क्रियान्वयन की तारीफ करते हुये कहा कि मध्यप्रदेश ने जो मानक तय किये हैं उनका पूरे देश में उल्लेख होता है।

श्री चौहान ने कहा कि मनरेगा गरीब मजदूरों के लिये वरदान है। इसके क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई है तो उसे दूर करना चाहिये। योजना में समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं होना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिये मध्यप्रदेश में अल्ट्रा बैंकिंग इकाई और मोबाईल बैंकिंग की व्यवस्था की गई है। तकनीकी अमले की कमी और फण्ड की अवरुद्धता की भी समस्या है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने कहा कि बजट प्रस्तुत करने का समय वर्षाऋतु में होना चाहिये ताकि सितम्बर माह में राशि मिल जाये तथा सितम्बर से जून माह तक विकास कार्य किये जा सकें। मार्च माह में बजट प्रस्तुत होने से काम करने के दो-तीन माह हिसाब-किताब में निकल जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि को मनरेगा से जोड़ने पर इसका लाभ बढ़ जायेगा। मनरेगा का लक्ष्य हो कि श्रमिक मजदूरी पर निर्भर नहीं रहें और आत्मनिर्भर बनें। जब देश में मनरेगा की जरूरत नहीं रहेगी यही इसकी सबसे बड़ी सफलता होगी। उन्होंने कहा कि केवल कुछ लोगों का विकास, विकास नहीं है यह समझना होगा। विकास का प्रकाश जब तक आम आदमी तक नहीं पहुंचे तब तक विकास बेमानी है। उन्होंने कहा विकास की गति धीमी नहीं होनी चाहिये। इसका लाभ आम लोगों तक पहुंचना चाहिये। मनरेगा लोगों को काम का अधिकार देती है। संसाधनों पर सबका अधिकार है। इनका उपयोग जरूरत के अनुसार ही करना चाहिये। मनरेगा का मध्यप्रदेश में सकारात्मक उपयोग किया गया है। श्री चौहान ने कहा कि ग्राम सभाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। इनकी भूमिका विकास में सकारात्मक और निर्णायक होना चाहिये। मध्यप्रदेश में सरकार के साथ समाज को जोड़ने के लिये आओ बनायें अपना मध्यप्रदेश जैसा अभियान चलाया गया है।

कार्यशाला में डॉ. मिहिर शाह ने कहा कि मनरेगा के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश ने जो मानक तय किये हैं उनका उल्लेख पूरे देश में किया जाता है। मनरेगा के क्रियान्वयन को और बेहतर बनाने के लिये तथा सुझाव देने के लिये केन्द्र द्वारा उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कृषि को मनरेगा से जोड़ने का सीधा लाभ हुआ है।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश में मनरेगा के माध्यम से सिंचाई क्षमता बढ़ाने में अच्छा कार्य हुआ है। प्रदेश में वित्तीय समावेशन की बेहतर व्यवस्था बनायी गयी है। प्रदेश में पाँच किलोमीटर की परिधि में अल्ट्रा बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

❑ जी.डी. मिश्रा

ग्रामीण अंचलों में मजदूरों को मिलेगा रोजगार का हक

मध्यप्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जरूरतमंद मजदूरों को रोजगार का हक दिलाने के लिये कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में गत दिनों भोपाल में सम्पन्न मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मनरेगा के तहत कार्य कर रहे 2 लाख 26 हजार मेट के माध्यम से श्रमिकों के समूह को माँग के अनुसार रोजगार मुहैया करवाने के इंतजाम होंगे। वर्तमान में मेट अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। अब इन्हें अर्द्ध-कुशल श्रमिक का दर्जा दिया जायेगा। यह मेट 30 श्रमिकों के एक समूह का नेतृत्व करेंगे और ग्राम-पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक के माध्यम से जनपद पंचायत तक रोजगार की माँग के बारे में सूचना भेजने में मदद करेंगे। नई व्यवस्था में पंचायत की माँग के अनुसार अब मजदूरी की राशि सीधे पंचायत के खातों में जमा होगी। माँग आधारित रोजगार तथा मजदूरी की राशि को काम से जोड़ने की दिशा में मध्यप्रदेश में यह अभिनव प्रयोग शुरू किया जा रहा है। इस नवाचार से ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन होगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती अरुणा शर्मा भी मौजूद थीं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सभी जरूरतमंद मजदूरों को रोजगार का हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत कार्य कर रहे मेट के माध्यम से श्रमिकों के समूह को मांग के अनुसार रोजगार मुहैया कराया जायेगा।

मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने आदिवासी बहुल विकासखण्ड में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के संचालन के लिये एक-एक अतिरिक्त विकासखण्ड अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मनरेगा शिकायतों के निराकरण में देरी होने तथा मनरेगा मजदूरी भुगतान में विलंब के लिये भी जवाबदेही तय होना चाहिये। बैठक में बताया गया कि मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति संबंधी नियमों को विधि विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और अब इन्हें मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन के लिये यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जा रहा है। बैठक में आयुक्त मनरेगा डॉ. रवीन्द्र पस्तोर ने बताया कि मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता और भुगतान व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये एक अप्रैल, 2013 से ईएफएमएस सिस्टम की शुरुआत प्रदेश के 15 जिलों में हो चुकी है। इस व्यवस्था को शीघ्र ही सभी 50 जिलों में लागू किया जा रहा है। नई व्यवस्था के अंतर्गत समस्त जनपद पंचायत में एक अप्रैल, 2013 से मेन्युअल मस्टर-रोल बनाने का काम पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इससे पहले हरदा जिले में पॉयलेट प्रोजेक्ट चलाकर इस प्रणाली का सफल क्रियान्वयन किया जा चुका है। वित्तीय समावेशन व्यवस्था के मध्यप्रदेश मॉडल के प्रभावी क्रियान्वयन के अंतर्गत अब ग्रामीण अंचलों में हर 5 किलोमीटर के दायरे में वैकल्पिक बैंक की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। अब तक 7,493 गाँवों में अल्ट्रा स्माल बैंक तथा मोबाईल बैंकिंग के जरिये मनरेगा मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जा चुका है।

राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार

झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत सारंगी को

झाबुआ जिले के पेटलावद विकासखण्ड की ग्राम-पंचायत सारंगी की ग्राम-सभा को ग्राम विकास में दायित्वों के श्रेष्ठतम निर्वहन के लिये वर्ष 2012-13 के राष्ट्रीय गौरव ग्राम-सभा पुरस्कार से गत दिनों नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पंचायत दिवस समारोह में ग्राम पंचायत सारंगी की सरपंच फुंदीबाई मैदा को सम्मानित किया गया। सम्मान में 8 लाख की पुरस्कार राशि दी गई। समारोह में देशभर के पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय पंचायत राज एवं जन-जातीय कल्याण मंत्री श्री वी. किशोरचन्द्र देव ने की। कार्यक्रम में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने भी भाग लिया।

समारोह में मध्यप्रदेश की चयनित श्रेष्ठ त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को 2 करोड़ 2 लाख रुपये के पुरस्कार दिये गये। पंचायतों का सशक्तीकरण और जवाबदेही पुरस्कार योजना2013 में राष्ट्रीय-स्तर पर चयनित जिला पंचायत इंदौर और सागर को सम्मानित किया गया। प्रत्येक को40 लाख की पुरस्कार राशि दी गयी। जनपद पंचायत हरदा और खरगोन को पुरस्कार में 2-2 लाख रुपये दिये गये। इसके अलावा मध्यप्रदेश की श्रेष्ठ 12 ग्राम-पंचायत को भी पुरस्कृत किया गया। इन सबको 6-6 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी गयी।

इनमें खरगोन जिले की ग्राम-पंचायत लिक्खी, बड़गाँव और भोरठ, हरदा जिले की ग्राम-पंचायत रायबोर और भाटपरेतिया, नरसिंहपुर जिले की ग्राम-पंचायत आँगनबाड़ा, उमरिया और गोगावरी, सागर जिले की ग्राम-पंचायत रामपुर और बारखेड़ा गोठान तथा मण्डला जिले की इन्द्री ग्राम पंचायत शामिल है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश की कुल 23 हजार 6 ग्राम-पंचायत, 313 जनपद पंचायत और 50 जिला-पंचायत ग्रामीण अँचलों के विकास में सशक्त भूमिका निभा रही हैं। राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के सुचारु क्रियान्वयन के जरिये ग्रामीण अँचलों में जहाँ तरक्की की रफ्तार तेज हुई है, वहीं ग्रामीणों को आर्थिक विकास के व्यापक अवसर मिले हैं।

प्रदेश में राष्ट्रीय आजीविका मिशन की उपलब्धियों को विश्व बैंक ने सराहा

राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश की बेहतर उपलब्धियों की विश्व बैंक दल ने सराहना की है। विश्व बैंक प्रतिनिधियों ने गत दिनों मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिशन के क्रियान्वयन के बारे में चर्चा की। दल ने मिशन के अंतर्गत राज्य में हो रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। दल में वर्ल्ड बैंक के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के टास्क मैनेजर श्री केविन क्राकफोर्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना के ग्रामीण विकास विशेषज्ञ तथा टास्क लीडर श्री परमेश शाह सहित भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।

विश्व बैंक प्रतिनिधियों ने पिछले एक वर्ष में मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सुनियोजित क्रियान्वयन पर संतोष जताया। इस अवसर पर उन्होंने मध्यप्रदेश के संदर्भ में आजीविका गतिविधियों के लिये नवाचारों को बढ़ावा देने की जरूरत भी बताई। ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों को बैंकिंग सुविधाओं का समुचित लाभ आसानी से उपलब्ध करवाने के लिये उन्होंने बैंक-मित्र बनाने का सुझाव भी दिया। यह बैंक-मित्र स्व-सहायता समूहों के सदस्यों में से ही चुने जायेंगे।

इस अवसर पर सघन क्षेत्र में शामिल सभी ग्रामीण अंचलों के शत-प्रतिशत हितग्राहियों को आजीविका मिशन से जोड़ने और उनके सोशल मोबिलाइजेशन के बारे में भी सुझाव दिए गए। विश्व बैंक प्रतिनिधियों ने बताया कि मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना के जरिये लक्षित जिलों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में हुए सकारात्मक प्रयासों को अब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से और आगे बढ़ाया जाये। इन कार्यों के लिये विश्व बैंक द्वारा विशेष आर्थिक अनुदान मुहैया करवाया जायेगा। समीक्षा के दौरान दल ने मिशन के अंतर्गत मैदानी स्तर पर कार्य कर रहे अमले और बैंकर्स के मध्य बेहतर तालमेल को भी सराहा। मिशन के माध्यम से प्रथम चरण के जिलों में बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें स्व-रोजगार के माध्यम से आत्म-निर्भर बनाने तथा निजी संस्थानों में रोजगार मुहैया करवाने के प्रयासों की भी विश्व बैंक ने सराहना की।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्री एल.एम. बेलवाल ने विश्व बैंक दल को बताया कि प्रदेश के 10 जिलों के 46 विकासखण्ड को मिशन के प्रथम चरण में शामिल किया गया है। मिशन की शुरुआत से अब तक 5,234 नये स्व-सहायता समूह बनाये गये हैं, वहीं 5,795 पुराने समूहों को मिशन से जोड़ा गया है। इसके अलावा 655 ग्राम संगठन भी बनाये गये हैं। मिशन के अंतर्गत शामिल जिलों में स्व-सहायता समूह के गठन के लक्ष्यों को तेजी से पूरा किया गया है। इसके साथ ही समूह को रिवाल्विंग फण्ड प्रदान करने और उनके बैंक लिंकेज की दिशा में भी सराहनीय कार्य हुए हैं। विशेषकर श्योपुर और मण्डला जिलों में स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज की दिशा में व्यापक सफलता हासिल हुई है।

❑ विश्मिता श्रीवास्तव

पांच किलोमीटर के दायरे में हो मजदूरी का भुगतान

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा ने जबलपुर संभाग की बैठक में यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी व्यक्ति को मजदूरी का भुगतान प्राप्त करने 5 किलोमीटर से ज्यादा न चलना पड़े। संभाग के सभी चिन्हित ग्रामों में यू.एस.बी. (अल्ट्रा सब ब्रांच)15 मई तक प्रारंभ किये जायें।

श्रीमती अरुणा शर्मा ने गत दिनों मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि जबलपुर संभाग में इस योजना में अच्छा काम हुआ है, नरसिंहपुर जिले ने तो लक्ष्य शत-प्रतिशत हासिल किया है। उन्होंने कहा कि बैंक लक्ष्य अनुसार प्रकरण स्वीकृति उपरांत वितरण कार्रवाई त्वरित करें। हितग्राही भी इस योजना में अपनी मासिक किश्तें जमा कर रहे हैं और सरकार भी अपना अंशदान दे रही है। श्रीमती शर्मा ने डिण्डोरी और मण्डला जिलों को इसमें प्रगति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास मिशन सहित अन्य योजनाओं से बने आवासों पर योजना का लोगो अवश्य लगवाया जाये। उन्होंने कहा कि स्थायी एजेंडे के रूप में यू.एस.बी. ओपनिंग और मुख्यमंत्री आवास मिशन की प्राथमिकता से कलेक्टर्स समीक्षा करें। संभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास कार्यों में अच्छा काम कर रहा है प्रदेश में प्रथम स्थान पाने के प्रयास किये जायें। समीक्षा के दौरान श्रीमती शर्मा ने पंचायतों के भवन नरेगा से बनाये जाने के निर्देश दिये।

डॉ. राजेश राजौरा ने ई-पंचायत काम में गति लाने को कहा। जिला पंचायतों को हार्डवेयर-साफ्टवेयर की राशि मुहैया करवा दी गई है। ई-पंचायत के लिए कम्प्यूटर, स्केनर, टी.व्ही. और प्रिंटर भी मुहैया करवाये जा रहे हैं। डॉ. राजौरा ने कहा कि पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को विकासखण्ड स्तर पर ई-पंचायत संबंधी प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि पंचायतों को सुदृढ़ और आधुनिक किया जा रहा है। प्रदेश की 8 हजार पंचायत को लेपटाप मुहैया करवाये गये हैं, शेष को भी दिया जायेगा।

बैठक में बताया गया इंदिरा आवास के हितग्राहियों को राशि अब भोपाल से सीधे उनके खाते में डाली जायेगी। मध्याह्न भोजन की समीक्षा में निर्देश दिये गये कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 2 या 3 से ज्यादा स्कूल न दिये जायें। संभाग के सभी जिले इसे सुनिश्चित करवायें। स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये। सभी कलेक्टर्स और सी.ई.ओ. जिला पंचायत अपने स्तर पर समीक्षा करें। सभी शालाओं में किचन शेड बनाना सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक के दौरान कहा गया कि सीमेंट-कांक्रीट सड़क, कृषि जमीन में उत्पादकता बढ़ाने के कार्य, पंचायत भवन और कपिलधारा कार्य को प्राथमिकता दी जाये। अपर मुख्य सचिव ने कहा कृषि भूमि को उन्नत बनाने से उत्पादन बढ़ेगा, सिंचाई सुविधा देकर एक फसली भूमि को द्वि-फसली की जा सकती है। पंचायतों के सीईओ को सख्त निर्देश दिये गये कि वे रोजगार गारंटी योजना के कार्यों की सतत् मानीटरिंग करें अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी और यदि कार्य में मूल्यांकन सही न पाये जाने पर इंजीनियर्स के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

❑ दीपक शर्मा

पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि

राज्य शासन ने त्रि-स्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी के आदेश जारी कर दिये हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में विगत दिनों त्रि-स्तरीय पंचायत पदाधिकारियों की महापंचायत के अवसर पर प्रदेश के करीब 4 लाख पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा की थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गत दिनों जारी आदेश के अनुसार अध्यक्ष जिला पंचायत का संशोधित मासिक मानदेय अब 11000 रुपये, उपाध्यक्ष जिला पंचायत का मासिक मानदेय 9500 रुपये, सदस्य जिला पंचायत का मासिक मानदेय 4500 रुपये, अध्यक्ष जनपद पंचायत का मासिक मानदेय 6500 रुपये, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत का मासिक मानदेय 4500 रुपये और सदस्य जनपद पंचायत का संशोधित मासिक मानदेय 1500 रुपये किया गया है।

इसी प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत का संशोधित मासिक मानदेय बढ़ाकर 1750 रुपये किया गया है। ग्राम पंचायत के पंच को भी मासिक बैठक में शामिल होने के आधार पर प्रति बैठक 100 रुपये मानदेय दिये जाने के आदेश राज्य शासन ने पहली बार जारी किये हैं। पंच को एक वर्ष में अधिकतम 600 रुपये मानदेय की पात्रता होगी। त्रि-स्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि संबंधी आदेश 1 अप्रैल 2013 से प्रभावशील हो गया है। संशोधित मानदेय राशि भी 1 अप्रैल 2013 से देय होगी।

सर्वहारा वर्ग की योजनाओं पर दो उपयोगी फोल्डर

सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और अभियानों का लाभ वास्तविक जरूरतमन्दों को समय पर मिले इसके लिए जरूरी है कि उन योजनाओं और अभियानों का समुचित प्रचार-प्रसार हो। इसी दिशा में जनसम्पर्क विभाग ने पिछले दिनों कई प्रचार पुस्तिकाओं (फोल्डर) का प्रकाशन किया। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए जो कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं आरम्भ की हैं उन पर दो उपयोगी फोल्डर - ' 'स्वर्णिम भविष्य की नींव : अन्त्योदय" और "मुख्यमंत्री की पंचायतें" का प्रकाशन किया है।

मुख्यमंत्री की पंचायतें

समुदाय से संवाद के ध्येय वाक्य के साथ प्रकाशित इस एक फोल्डर में अभी तक आयोजित उन्तीस पंचायतों का विवरण संकलित किया गया है। इन पंचायतों के आयोजन के मंतव्य को

स्पष्ट करते हुए फोल्डर में लिखा गया है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी है कि शासन और नागरिकों के बीच लगातार संवाद बना रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाज के सभी वर्गों से सीधी बातचीत की अनूठी पहल इन 'पंचायतों' के माध्यम से की है। पंचायतों में शासन और समुदाय दोनों एक मंच पर आये हैं। मुख्यमंत्री की ये पंचायतें लोगों को अपनी बात कहने का मौका और मंच देती हैं। इन पंचायतों के माध्यम से लोगों और मुख्यमंत्री के बीच सीधी बातचीत होती है। इन पंचायतों में जमीनी मुद्दे और उनके समाधान लोगों द्वारा ही सुझाये जाते हैं और नीतियों पर फैसले भी सबकी सहमति से सबके सामने होते हैं। इतना ही नहीं पंचायतों में लिए गए निर्णयों पर तत्काल अमल भी आरम्भ हो जाता है। असल में इस पहल की शुरुआत कर मुख्यमंत्री जी ने विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाते हुए लोकतंत्र को कारगर बनाने का काम किया है।

वर्ष 2006 में तीस जुलाई को आयोजित महिला पंचायत से वर्ष 2013 में तीन फरवरी को आयोजित किसानों की महापंचायत तक कुल उन्तीस पंचायतों का आयोजन हुआ है। चूँकि इस बीच वर्ष 2006 में तीस अगस्त को और वर्ष2008 में बीस फरवरी को भी दो किसान पंचायतें हो चुकी थीं अत; किसान समुदाय की तीन पंचायतों सहित सत्ताईस समुदायों की पंचायतें आयोजित हो चुकी हैं। मुख्यरूप से ये पंचायतें महिला, किसान, आदिवासी, वनवासी, अनुसूचित जाति की आबादी, कोटवार, लघु उद्यमी, खिलाड़ियों, कारीगरों, खेतिहर मजदूरों, निःशक्तजन, निर्धनों, निर्माण श्रमिकों, मछुआरों, स्व-सहायता समूहों, मण्डी के हम्माल और तुलावटियों, साइकिल रिक्शा चालकों, अशासकीय संगठनों, घरेलू कामकाजी महिलाओं, छात्रों, सड़क किनारे व्यापार करने वालों, वृद्धजन, वकीलों, युवाओं, पंचायत प्रतिनिधियों और केशशिल्पी समुदाय के लिए आयोजित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री की इन पंचायतों की प्रमुख उपलब्धियां भी संक्षिप्त में इन फोल्डरों में शामिल हैं।

स्वर्णिम भविष्य की नींव - "अंत्योदय"

स्वर्णिम भविष्य की नींव - 'अंत्योदय' नाम से प्रकाशित फोल्डर में भी पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन पर आधारित राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया है। इन योजनाओं और विकास कार्यों के माध्यम से सरकार ने अंतिम छोर पर खड़े लोगों के सामाजिक, आर्थिक उदय को समर्पित कई रचनात्मक और दूरगामी परिणाम देने वाले कदम उठाये हैं। इनके न सिर्फ अच्छे परिणाम मिले हैं बल्कि

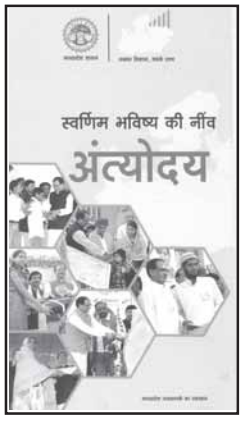

अंतिम छोर पर खड़े लोगों के कल्याण के माध्यम से देश के नीति निर्धारकों को भी प्रेरणा मिली है। इन योजनाओं के बारे में पढ़ने के बाद हमारे सामने राज्य सरकार की योजनाओं में अंत्योदय की सोच स्पष्ट दिखती है।

इस फोल्डर में लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान अथवा निकाह योजना, अंत्योदय मेलों के आयोजन की योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय अन्न योजना, वर्ग वार विकास योजना, मुख्यमंत्री रिक्शा चालक एवं हाथ ठेला कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना, मुख्यमंत्री पथ पर विक्रय करने वालों के लिये कल्याण योजना मुख्यमंत्री खेतिहर मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना, रैन बसेरा योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, स्पर्श अभियान, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन, गाँव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना, एकलव्य शिक्षा विकास योजना और वृद्धजन कल्याण योजना जैसी उन्नीस योजनाएं संकलित हैं। यह एक उपयोगी और शोध में सहायक प्रकाशन है।

* 'मुख्यमंत्री की पंचायतें' एवं 'स्वर्णिम भविष्य की नींव - अंत्योदय'
* प्रकाशक : जनसम्पर्क विभाग * मुद्रक : मध्यप्रदेश माध्यम के लिए आदर्श प्रा.लि. और कैलाश प्रिंटिंग प्रेस, भोपाल से मुद्रित।

❑ राजा दुबे

गाँवों के विकास के लिए पूरी होंगी बुनियादी जरूरतें

मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लक्ष्य गाँवों का चहुमुखी विकास है। गाँवों के विकास की सबसे बड़ी कड़ी ग्राम पंचायतें हैं। इसीलिए शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाया जा रहा है। ग्रामीण विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गाँवों के विकास के लिए राज्य सरकार सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करा रही हैं।

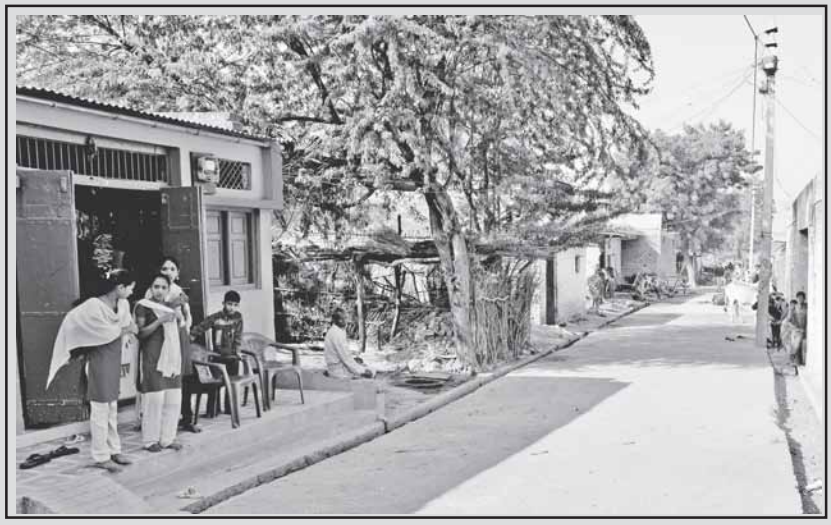

प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लक्ष्य गाँवों का चतुर्दिक विकास है और इन सभी योजनाओं की सफलताओं को इस बात से आँका जाना चाहिए कि इससे ग्रामीण जीवन स्तर में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है और प्रगति की दौड़ में प्रदेश के गाँव कितने आगे आये हैं? यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों पंचायत सचिव संगठन के एक आयोजन में कही। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गाँवों के विकास के लिए राज्य सरकार सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरतें पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न जिलों में 'अटल ज्योति योजना' के अंतर्गत चौबीसों घण्टे बिजली की सुविधा मुहैया करवाने की घोषणा करते समय भी यह बात जोर देकर कही गई कि इससे प्रदेश में विशेष रूप से गांवों में छोटे-छोटे उद्योग धन्धों की संख्या बढ़ेगी और गाँव के युवा अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए आगे आयेंगे।

सात हजार से अधिक गाँव लाभान्वित होंगे

मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बुण्देलखण्ड विकास पैकेज वाले जिलों में सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिये हैं। केन्द्र सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में बुन्देलखण्ड विकास पैकेज के अंतर्गत राज्य से प्राथमिकता क्षेत्र की जानकारी चाही है। गत दिनों विधानसभा समिति कक्ष में भविष्य की रणनीतियों और प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज से सागर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, छतरपुर और दतिया इन छः जिलों के सात हजार एक सौ चौवन गाँव लाभान्वित होंगे।

इन सात हजार से अधिक गाँवों में सिंचाई कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी और उसके बाद पशुपालन और उनसे जुड़ी गतिविधियों और कृषि वानिकी को दूसरे और तीसरे क्रम की प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी का मानना है कि उद्यानिकी त्वरित आय बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और गाँवों में पारम्परिक रूप से उद्यानिकी कार्य होता रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने किसानों की जमीन पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और पेड़ काटने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिये। ग्रामीण विकास की दिशा के बारे में अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि सिंचाई, पशुपालन और कृषि वानिकी के बाद गाँवों में समूह जल प्रदाय योजना, बकरी पालन और मत्स्य पालन को भी प्राथमिकता देना होगी।

परियोजना में विलम्ब से प्रभावित होता है ग्रामीण विकास

मुख्यमंत्री जी ने बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के सन्दर्भ में यह बात भी कही कि विशेष पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली परियोजनाओं में यदि विलम्ब होता है तो संबंधित विभाग तत्काल सक्रिय होकर संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परियोजना के विलम्ब से उससे प्राप्त होने वाले लाभ में भी विलम्ब होता है। ऐसा विलम्ब ग्रामीण विकास को बाधित करता

है, यह बाधित विकास गरीब किसानों और उनके परिवार के लिए ठीक नहीं होता है।

एक और विभाग जोड़ने और अधिकार की बात करेंगे

विशेष पैकेज और रणनीतियों के संबंध में प्रमुख सचिव, योजना श्री सुधीरंजन मोहन्ती ने अपनी प्रस्तुति में बताया कि विशेष पैकेज परियोजनाओं में अभी तक मुख्य रूप से जल संसाधन, कृषि, ग्रामीण विकास, पशुपालन, श्रम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और उद्यानिकी की विकास गतिविधियों को ही क्रियान्वित किया जा रहा है। इस बार मत्स्य पालन विभाग को भी इससे जोड़ा जायेगा। इस विशेष पैकेज की केन्द्र से मिलने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की बची हुई दस प्रतिशत राशि जारी करने के आग्रह का निर्णय तो इस बैठक में लिया ही गया साथ ही केन्द्र से परियोजना की लागत बढ़ाने और राज्य को कार्य स्थल में मामूली परिवर्तन करने और अन्तर्विभागीय परिवर्तन करने के अधिकार भी राज्यों को देने की बात भी केन्द्र सरकार से करने का निर्णय भी लिया गया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बुन्देलखण्ड क्षेत्र के इन जिलों में फल एवं सब्जी मार्केट की स्थापना, दलहन विस्तार कार्यक्रम, कृषि आदान केन्द्रों की स्थापना, छतरपुर में हार्टीकल्चर हब बनाने और उसका विकास करने, दुग्ध सहकारी समितियों को मजबूत बनाने, मत्स्य पालन के लिए हेचरी और तालाबों का निर्माण करने, प्रोड्यूसर कम्पनियों की स्थापना और भूजल संरक्षण कार्य विशेष रूप से क्रियान्वित किये जायेंगे।

स्वच्छ एवं स्वस्थ गाँव की परिकल्पना साकार होगी

स्वच्छ एवं स्वस्थ गाँवों की परिकल्पना साकार करने के उद्देश्य से प्रदेश में अड़तालिस हजार तीन सौ चालीस ग्राम सभाओं में ' 'ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियाँ" गठित की गई है। इन समितियों के माध्यम से जन स्वास्थ्य के सभी घटक जैसे लोक स्वास्थ्य, पोषण, शुद्ध पीने का पानी एवं स्वच्छता के उद्देश्यों की पूर्ति कर स्वस्थ एवं स्वच्छ गाँवों की परिकल्पना को साकार करने का कार्य आरम्भ हो गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में उनचास हजार नौ सौ सत्तर ग्राम आरोग्य केन्द्रों ने भी काम करना आरम्भ कर दिया है। "हमारा स्वास्थ्य : हमारा दायित्व" योजना के माध्यम से ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ - समितियाँ एवं ग्राम आरोग्य केन्द्र मिलकर स्वस्थ्य एवं स्वच्छ गाँव की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं।

इन समितियों के माध्यम से ग्राम स्तर पर ग्रामीणों को सेवा प्रदाताओं पर नियंत्रण, वित्तीय अधिकारों और सेवाओं के क्रियान्वयन में भागीदारी और अनुश्रवण का अधिकार भी मिल जायेगा। राज्य स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है जिससे उन्हें सशक्त बनाया जाये। योजनाओं को समुदाय

साज-सम्हाल के लिए बारह कर्मचारी

प्रदेश में अब 'मनरेगा' योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में बारह और प्रत्येक गाँव में पाँच कर्मचारी साज-सम्हाल के लिए पदस्थ रहेंगे। प्रदेश में सड़सठ लाख जॉब कार्डधारी परिवार हैं। इन परिवारों में से भूमिधारी और भूमिहीन की पहचान कर उन्हें बारी-बारी से काम दिया जायेगा। प्रदेश में तीस-तीस जॉब कार्डधारियों का समूह बनेगा और प्रत्येक समूह पर एक 'मेट' होगा। प्रदेश में कुल दो लाख तेईस हजार तीन सौ चौंतीस समूह बनाये जाएंगे, इतने ही मेट समूह द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। प्रदेश में तेईस हजार निर्वाचित सरपंच एवं इतने ही सचिव भी हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पाँच सौ सब इंजीनियर हैं। मनरेगा के पास कुल दो लाख पिचहत्तर हजार एक सौ अड़तालिस का स्टॉफ होगा और प्रत्येक चौबीस जॉब कार्ड पर एक व्यक्ति रहेगा जो योजना से लाभान्वित करने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे।

आधारित बनाने के लिए 'हमारा स्वास्थ्यः हमारा दायित्व' योजना के तहत दस हजार मास्टर ट्रेनर के माध्यम से एक लाख स्वास्थ्यकर्मी जिसमें आशा कार्यकर्ता, ऑक्सीलरी नर्स मिडवाईफ (ए.एन.एम.) और आँगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। उन्हें एवं ग्राम स्वास्थ्य समितियों के छः लाख सदस्यों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इस समय इकत्तीस जिलों में प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। शेष जिलों में भी अप्रैल में ही प्रशिक्षण आरम्भ कर दिया जायेगा। सभी जिलों में यह प्रशिक्षण चालू माली साल में ही पूरा हो जायेगा। अभी तक सत्यासी हजार चार सौ तीस समिति सदस्य प्रशिक्षित हो चुके हैं। "हमारा स्वास्थ्य, हमारा दायित्व" योजना के क्रियान्वयन में शासन के महिला बाल-विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों का आपसी समन्वय और सहभागिता भी रहेगी।

स्व-कराधान प्रोत्साहन राशि का उपयोग तय

हाल ही में राज्य सरकार ने स्व-कराधान प्रोत्साहन योजना में प्रदेश की पांच सौ बाईस ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ीकरण के तहत अधोसंरचनात्मक विकास के लिए लगभग साठ करोड़ रुपयों की राशि प्रोत्साहनस्वरूप दी है। सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए प्रोत्साहन राशि का उपयोग भी तय कर दिया है। ऐसी ग्राम पंचायतें जहाँ पंचायत भवन नहीं हैं वहाँ पंचायतें प्रोत्साहन राशि का उपयोग अनुमोदित नक्शे के अनुसार पंचायत भवन बनाने और जहाँ आँगनवाड़ी भवन नहीं हैं वहाँ आंगनवाड़ी भवन बनाने में कर सकेंगी। इन दोनों भवनों के निर्माण में बाउन्ड्रीवॉल का बनाना और हैण्डपम्प लगाना जरूरी होगा। ग्राम पंचायतें इस प्रोत्साहन राशि से सीमेन्ट-कांक्रीट मार्ग, हाट बाजार वाले गाँवों में नल-जल निस्तार का कार्य अथवा मजरे-टोलों को निकटस्थ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी जोड़ सकती है। यदि ग्रामसभा उपयुक्त पाये तो इस प्रोत्साहन राशि का मनरेगा के साथ अभिक्षरण भी किया जा सकेगा।

मनरेगा कार्यकारिणी के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

मनरेगा के अमल को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की हाल ही में गठित नवीन कार्यकारिणी समिति की पहली बैठक पिछले दिनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में इस योजना के क्रियान्वयन एवं मनरेगा कर्मियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मनरेगा में पदस्थ संविदा कर्मियों बारह प्रतिशत का ई.पी.एफ. काटने तथा नियोक्ता की ओर से तेरह दशमलव छः-एक प्रतिशत अंश राशि देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मनरेगा के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्राथमिकता आधारित सर्वाधिक व्यय करने वाली आठ हजार ग्राम पंचायतों को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से लेपटॉप देने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अतिरिक्त मेट, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं उपयंत्रियों को परफारमेन्स के आधार पर पाँच सौ से पन्द्रह सौ रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी लिया गया। मनरेगा में कार्यरत संविदा उपयंत्रियों, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन संबंधी मामलों के निराकरण के लिए भी एक समिति का गठन किया गया है।

गाँवों में मजदूरों को मिलेगा रोजगार का हक

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जरूरतमंदों मजदूरों को रोजगार का हक दिलाने के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की कार्यकारिणी

समिति की बैठक में यह निर्णय लिया कि मनरेगा के तहत कार्य करने वाले दो लाख छब्बीस हजार मेट के माध्यम से श्रमिकों के समूह को माँग के अनुसार रोजगार मुहैया करवाने के इंतजाम होंगे। फिलहाल मेट अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। अब उन्हें अर्द्धकुशल श्रमिक का दरजा दिया जायेगा। नई व्यवस्था में पंचायत की माँग के अनुसार अब मजदूरी की राशि सीधे पंचायत के खातों में जमा होगी। इसी प्रकार मंत्री जी ने यह भी बताया कि आदिवासीबहुल विकासखण्डों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए एक-एक अतिरिक्त विकासखण्ड अधिकारी भी नियुक्त होंगे।

मिशन बना रही है 'विलेज प्रोफाइल'

मिशन के अंतर्गत प्रदेश में सघन क्षेत्र के चौदह लाख हितग्राहियों और उनके परिवारों का बेस लाइन सर्वे कर उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति का विस्तृत विवरण एकत्रित किया जा रहा है। इसी प्रकार सघन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल लगभग छः हजार गाँवों की 'विलेज प्रोफाइल' भी तैयार की जा रही है। इस पहल से आजीविका मिशन के पूरा होने के बाद इन परिवारों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति में आये बदलाव और इन गाँवों में सकारात्मक परिवर्तन का सही-सही आकलन करने में मदद मिल सकेगी। इस विलेज प्रोफाइल से ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं के आकलन में भी मदद मिलेगी और गाँवों में आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाने में भी मदद मिलेगी।

आजीविका मिशन की गतिविधियों से बढ़ी विकास की गति

प्रदेश में ग्रामीण विकास की गति को तेज करने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का भी महत्वपूर्ण योगदान है और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों एक समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश के चौदह लाख ग्रामीण हितग्राही परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में इस मिशन के कारण बदलाव आया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की स्थानीय इकाई-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अनुसार प्रदेश में दस जिलों के छियालिस विकासखण्डों में मिशन के पहले चरण का काम आरम्भ हो गया है। मिशन की शुरुआत से अब तक प्रदेश में पाँच हजार दो सौ चौंतीस नये स्व-सहायता समूह बनाये गए हैं, वहीं पाँच हजार सात सौ पिंच्यानवे पुराने समूहों को भी मिशन से जोड़ा गया है। इसके अलावा छः सौ पचपन ग्राम संगठन भी बनाये गए हैं। मिशन के अंतर्गत शामिल जिलों में स्व-सहायता समूहों के गठन के लक्ष्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इतना ही नहीं प्रदेश में इन स्व-सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड प्रदान करने और उनके बैंक लिंकेज की दिशा में भी सराहनीय कार्य हुए हैं। हाल ही में विश्व बैंक के एक दल ने प्रदेश में आजीविका मिशन की उपलब्धियों की सराहना की है। विश्व बैंक के दल ने ग्रामीण हितग्राहियों को बैंकिंग सुविधाओं का तत्काल और समुचित लाभ दिलवाने के लिए 'बैंक मित्र' बनाने और हितग्राहियों के सोशल मोबलाइजेशन का सुझाव भी दिया। जलवायु परिवर्तन की दिशा में सकारात्मक प्रयासों के लिए विश्व बैंक के दल ने विशेष आर्थिक अनुदान की बात भी कही।

प्रदेश में ग्रामीण विकास योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए भी प्रत्येक स्तर पर मध्यावधि मूल्यांकन की व्यवस्था भी की गई है और प्रदेश में विकास कार्यों के माध्यम से परिसम्पत्ति निर्माण की उपलब्धि को भी सरकार ने संतोषजनक मानकर इस प्रवृत्ति को लगातार बनाये रखने की जरूरत भी प्रतिपादित की है।

❑ राजेश शर्मा

पंच-परमेश्वर योजना में कराये जाने वाले कार्यों के दिशा-निर्देश

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा सभी जिलों की ग्राम पंचायतों को अपने पंचायत क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक कार्यों के लिये राशि उपलब्ध करायी जाती है। सभी ग्राम पंचायतों को योजनान्तर्गत जो राशि उपलब्ध करायी जाती है उस राशि का उपयोग किन कार्यों में किया गया और कार्यों पर व्यय राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही अगले वित्तीय वर्ष की राशि जारी की जायेगी। इस संबंध में जारी आदेश का यथावत प्रकाशन पंचायिका में किया जा रहा है।

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ परिसर, भोपाल
Fax No. 0755-2552899, e-mail-dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/स्था./पं.रा./2013/48 भोपाल, दिनांक 09.04.2013

प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला-समस्त,
मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत-समस्त,
मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत-समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय - पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायतों में कराये जाने वाले कार्यों के दिशा-निर्देश। संदर्भ - मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व ज्ञाप परिपत्र क्रमांक 9906, दिनांक 11.11.2011, परिपत्र क्रमांक 2/119, दिनांक 28.12.2011, ज्ञाप क्र. एफ-2-5/2012/22/पं-1, दिनांक 17.05.2012, परिपत्र क्रमांक/ 12750/22/वि-7/NBA/2012, दिनांक 17.09.2012 एवं ज्ञाप क्रमांक/पं.रा./वित्त-योजना/2013/780, दिनांक 28.01.2013।

पंच परमेश्वर योजना के क्रियान्वयन हेतु संदर्भित ज्ञापन/परिपत्र समय-समय पर शासन स्तर से जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार आपके जिले की ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2011-12 में जो राशि उपलब्ध कराई गई, उस राशि का उपयोग आपके द्वारा प्रमुखतः ग्राम पंचायतों के आंतरिक मार्गों में सीसी रोड का निर्माण मय नाली के साथ कराये जाने वाले कार्यों में किया गया है एवं इस योजना में कार्यों पर व्यय की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिले की समस्त ग्राम पंचायतों को पुनः पंच परमेश्वर योजना से गतवर्ष की भांति राशि विभिन्न किश्तों में सभी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंत में अर्थात 31 मार्च 2013 के बाद आपके जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जो राशि वर्ष भर में इस योजना में उपलब्ध कराई गई है, उसकी विस्तृत जानकारी ई-मेल से आपको प्रेषित की गई है। उक्त जानकारी के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में यह राशि विकास कार्यों के लिए उपलब्ध हुई है या नहीं, इसकी पुष्टि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत से जानकारी लेकर 15 दिवस में की जाकर जिले की संकलित जानकारी ई-मेल एवं हार्ड कॉपी से संचालनालय को अवगत करावें। यदि किन्हीं कारणों से आपके जिले की किसी ग्राम पंचायत को बैंक खातों के नंबर में अंतर के कारण या अन्य तकनीकी त्रुटि के कारण राशि संबंधित ग्राम पंचायत को नहीं पहुंची हो तो उसकी सूचना तत्काल ई-मेल, दूरभाष एवं हार्डकॉपी से संचालनालय को प्रेषित करें, जिससे संबंधित पंचायत की राशि उनके खाते में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

पंच परमेश्वर योजना की राशि से पूर्व शासन के निर्देशों के अनुसार कार्यों की गाईड लाईन निर्धारित की गई थी, उन निर्देशों का पालन करते हुये आपके जिले में संभवतः ऐसे सभी कार्य ग्राम पंचायतों के द्वारा अपने स्तर से पूर्ण करा लिये गये होंगे। उपलब्ध कराई जा रही इस वर्ष की राशि से ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से तैयार किये गये सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट (एकीकृत कार्य योजना) जिसका अनुमोदन आपके स्तर से गतवर्ष किया गया है, उस कार्य योजना में लंबित कार्यों को पूर्ण कराने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

आपके जिले की ग्राम पंचायतों में ग्रामों के अंदर आंतरिक सीसी रोड का निर्माण लंबित रहा है तो उक्त कार्य को कराये जाने की प्राथमिकता पुनः रखी जावे। जिन ग्राम पंचायतों में सीसी रोड के कार्य पूर्ण हो गये हों, उन ग्राम पंचायतों में इस वर्ष में जो कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने हैं, उल्लेखित निम्न कार्यों को प्राथमिकता देने का सुझाव है -

1. ग्रामों के आंतरिक मार्गों में बची हुई सीसी रोड मय नाली निर्माण के साथ।
2. कार्यालयीन उपयोग हेतु पंचायत भवन का विस्तार/प्रीफेफरिंक तकनीक से पंचायत भवन का निर्माण।
3. आंगनवाड़ी भवन का निर्माण।
4. ग्राम पंचायतों में नल-जल योजना एवं अन्य बिजली उपभोग से संबंधित लंबित बिलों का भुगतान।
5. साफ-सफाई के कार्य एवं पेयजल हेतु, नल-जल योजना का संधारण एवं विस्तार।
6. प्रत्येक ग्राम पंचायत की स्वयं की वेबसाइट का निर्माण कराया जा सकेगा, जिसमें ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण मूलभूत जानकारी, पूर्व कराये गये सभी निर्माण कार्य, स्थाई संपत्ति आदि का विवरण शामिल होना चाहिए।
7. अन्य ऐसे नवीन कार्य जिनकी प्राथमिकता का निर्धारण पुनः ग्राम सभा के द्वारा जनहित की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये प्रस्तावित किये गये कार्यों को पूर्ण कराने में।

शासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार पंच परमेश्वर योजना में उपलब्ध कराई गई कुल राशि में से न्यूनतम 5 प्रतिशत राशि ग्राम की साफ-सफाई कार्य पर एवं 15 प्रतिशत राशि अनटाईड फण्ड (परिसम्पत्तियों के रख-रखाव) पर व्यय किये जाने के निर्देशों का पालन पूर्ववत् किया जावे। शासन के ज्ञापन क्रमांक/पं.रा./वित्त-योजना/2013/780, दिनांक 28.01.2013 के बिन्दु क्रमांक 2 को विलोपित करते हुए भविष्य में स्थाई दुकान अथवा गुमटी निर्माण के लिये मुख्यमंत्री ग्राम हाट योजना अंतर्गत राशि प्रावधानित की जा रही है। अतः उक्त प्रयोजन के कार्यों पर पंच परमेश्वर योजना से राशि व्यय किया जाना प्रावधानित नहीं होगा।

शासन स्तर से पंच परमेश्वर योजना के अतिरिक्त परफारमेन्स ग्रांट से प्रत्येक जिला पंचायत को 3 करोड़ रुपये एवं प्रत्येक जनपद पंचायत को 75 लाख रुपये तीन किश्तों में उपलब्ध कराये गये हैं, इस राशि से स्वीकृत किये जाने वाले कार्य भी जिले की ग्राम पंचायतों में ही संपन्न किये जावेंगे। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि ग्राम पंचायतों में कराये जाने वाले कार्यों में पुनरावृत्ति नहीं हो अर्थात् वही निर्माण कार्य पंच परमेश्वर मद से भी स्वीकृत कर दिया जावे एवं उसी कार्य को परफारमेन्स ग्रांट से भी कर दिया जावे, इस बात का विशेष ध्यान जिला/जनपद पंचायत स्तर पर योजना की समीक्षा करते समय रखा जावे।

शासन द्वारा योजना के संबंध में पूर्व में जारी सभी के अनुरूप कार्यवाही करते हुए निर्देशों, इन निर्देशों का पालन भी वित्तीय वर्ष 2011-12 की अनउपयोग की गई शेष राशि एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपलब्ध कराई गई कुल राशि से कराये जाने वाले कार्यों में किया जावे। ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों पर व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायतवार एवं मद वार पूर्व निर्धारित प्रपत्रों पर ई-मेल द्वारा एवं हार्डकॉपी के द्वारा संचालनालय को प्रेषित की जावे। आपके द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर ही वर्ष2013-14 की राशि आपके जिले की ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जावेगी। अतः आपका यह दायित्व है कि जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई गई राशि के उपयोग की सतत् समीक्षा जनपद एवं जिला पंचायत स्तर पर प्रतिमाह सुनिश्चित की जावे, जिससे शासन द्वारा विकास कार्यों के लिये उपलब्ध कराई गई राशि का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित हो सके। पूर्व की तरह योजना के मासिक पत्रक प्रतिमाह की 5 तारीख तक संचालनालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

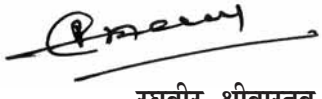

रघुवीर श्रीवास्तव
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पंचायत पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत निर्वाचित पंचायत पदाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की विधि और प्रक्रिया का उल्लेख है। अधिनियम की धारा 40 के तहत यदि पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी हो या उसके पद पर बने रहना लोकहित में नहीं हो तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए। इस संबंध में जारी आदेश का पंचायिका के पाठकों के लिए प्रकाशन किया जा रहा है।

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
1, प्रशासनिक क्षेत्र (तिलहन संघ परिसर) भोपाल 462004
(Telephone No. 0755-2557727, Fax No. 0755-2552899, E-mail : dirpanchayat@mp.gov.in)

क्रमांक/पंचा-/पंचा.राज/2013 भोपाल, दिनांक .04.2013

प्रति,

1. आयुक्त,
संभाग - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. कलेक्टर,
जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
समस्त - राजस्व अनुभाग, मध्यप्रदेश।

विषय - मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के अंतर्गत कार्यवाही करना।
संदर्भ - प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 03/176/2010/22/P-2 भोपाल दिनांक 08.02.2013 एवं पत्र क्र. पंचा./2011/4137 भोपाल, दिनांक 28.04.2011

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के अंतर्गत निर्वाचित पंचायत पदधारी के विरुद्ध कार्रवाई विधि की अपेक्षा एवं प्रक्रिया अनुसार की जाए।

यद्यपि धारा 40 में उन आधारों को स्पष्ट किया गया है, जिनके कि आधार पर प्रकरण संस्थित किया जाना है, जैसे -

(क) यदि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है, या

(ख) यदि उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है;

परन्तु नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से संबंधित व्यक्ति को अपने बचाव का समुचित अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

अतः म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के अंतर्गत सक्षम न्यायालयों में संस्थित प्रकरणों में सावधानी और विधि पूर्वक कार्यवाही अपेक्षित है। संस्थित प्रकरणों के अंतिम निपटारे में अकारण विलंब भी न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः धारा 40 में प्रकरण के अंतिम निपटारे के लिए निर्धारित की गई अधिकतम समय-सीमा एक सौ बीस दिन में प्रचलित प्रकरण का अंतिम निराकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत ऐसे पंचायत पदाधिकारी जिनके द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता की पुनरावृत्ति की पुष्टि होती है अथवा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने पर धारा 40 के अंतर्गत प्रकरण संस्थित करके विचरण में लिये जा सकते हैं। उपरोक्त लंबित प्रकरणों की मासिक समीक्षा बैठक में प्रतिमाह मॉनिटरिंग की जाकर लंबित एवं निराकृत प्रकरणों की निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजना सुनिश्चित किया जावे।

(रघुवीर श्रीवास्तव)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के अंतर्गत दर्ज, निराकृत एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी

जिले का नाम - **माह का नाम -**

राजस्व अनुभाग का नाम	सरपंच/पदधारी का नाम	ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत का नाम	प्रकरण क्रमांक एवं दर्ज करने का दिनांक	निराकरण का दिनांक	लंबित रहने का कारण
1	2	3	4	5	6

हस्ताक्षर एवं सील
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत

चौबीस अप्रैल को होगा राष्ट्रीय पंचायत दिवस का आयोजन

24 अप्रैल 1992 में भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन करते हुए पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया गया था। इस दिवस पर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जा रहा है। इस संबंध में जारी आदेश का पंचायिका में यथावत प्रकाशन किया जा रहा है।

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
1, प्रशासनिक क्षेत्र (तिलहन संघ परिसर) भोपाल 462004
(Telephone No. 0755-2557727, Fax No. 0755-2552899)
(E-mail : dirpanchayat@mp.gov.in)

क्रमांक/पंचा-/2013/3331 भोपाल, दिनांक 8.04.2013

प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला - समस्त
मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत/जनपद पंचायत - समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय - दिनांक 24 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस समारोह मनाये जाने के संबंध में।

24 अप्रैल का दिन देश में लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1992 में भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन करते हुए पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना को मूर्तरूप दिया गया था।

अतः 24 अप्रैल का दिन पंचायती राज संस्थाओं के इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि इस दिवस को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाने का संकल्प सरकार द्वारा लिया गया है। लोकतंत्र की सबसे अहम व जमीनी स्तर की इकाई ग्राम पंचायतों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त होकर वे स्थानीय निकाय के रूप में स्थापित हुई है तथा सत्ता में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो पा रही है। आगामी 24 अप्रैल 2013 राष्ट्रीय पंचायत दिवस की 20वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जाना है।

इस दिवस को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाये जाने के संबंध मे जिला/जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न समारोह आयोजित कर इस दिवस की सार्थकता स्थापित करनी है। इस अवसर पर निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं -

1. ग्राम स्तर पर प्रभात फेरी।
2. ग्राम स्वराज व्यवस्था को प्रभावी बनाने के संबंध में परिचर्चा/संगोष्ठी एवं चिंतन बैठकों का आयोजन।
3. स्थानीय प्राथमिक शालाओं/माध्यमिक शालाओं में पंचायती राज व्यवस्था पर निबंध प्रतियोगिता/चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन।
4. स्कूल/कॉलेजों में लोकतंत्र के सशक्तीकरण की आवश्यकता एवं सत्ता के विकेन्द्रीकरण की महत्ता पर परिचर्चा।
5. जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों की भूमिका तथा उनके योगदान की समीक्षा।
6. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के संबंध में योगदान पर सेमीनार।
7. नागरिकों का वित्तीय समावेशन द्वारा समस्त विकास पर चर्चा एवं वित्तीय साक्षरता का महत्व तथा ई-पंचायत की परिकल्पना।

8. स्थानीय विकास की संभावनाएं तथा स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोतों की तलाश।

9. पर्यावरण संरक्षण एवं स्थानीय परिस्थितिकी के बारे में चिंतन तथा संरक्षण के उपाय।

10. पंचायतों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में पंचायत के आय स्रोतों में वृद्धि के संबंध में चर्चा।

11. पंचायत क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले प्रतिनिधियों को पुरस्कृत किया जा सकता है।

उपरोक्त विषयों के अलावा जो भी विषय स्थानीय महत्व का हो उस पर संगोष्ठी सेमिनार आयोजित करते हुए राष्ट्रीय पंचायत दिवस को उत्साह के साथ मनाया जावे।

(रघुवीर श्रीवास्ताव)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों से पूरी होगी स्वस्थ ग्रामों की कल्पना

स्वच्छ एवं स्वस्थ ग्रामों की परिकल्पना साकार करने के उद्देश्य से प्रदेश में 48 हजार 340 "ग्राम-सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियाँ" गठित की गई हैं। इन समितियों के माध्यम से जन-स्वास्थ्य के सभी घटक जैसे लोक स्वास्थ्य, पोषण, शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता के उद्देश्यों की पूर्ति कर स्वस्थ एवं स्वच्छ ग्रामों की परिकल्पना को साकार करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। वहीं 49 हजार 970 ग्राम आरोग्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं। "हमारा स्वास्थ्य हमारा दायित्व" योजना के माध्यम से ग्राम-सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों एवं ग्राम आरोग्य केन्द्र स्वस्थ ग्राम की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

ग्राम-सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों के माध्यम से ग्रामीणों को ग्राम-स्तर पर प्रदान की जाने वाली सेवा-प्रदाताओं का नियंत्रण, वित्तीय अधिकार और सेवाओं के क्रियान्वयन में भागीदारी तथा अनुश्रवण का अधिकार दिया जायेगा। राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र के माध्यम से समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण कर उन्हें सशक्त किया जा रहा है। विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये जी.आई.एस. पर ग्राम-स्तरीय नियोजन तैयार किया जायेगा। समुदाय सेवा केन्द्रों के माध्यम से कम्प्यूटर आधारित जानकारी संकलन की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक समिति को 10 हजार रुपये के मान से50 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। वर्तमान में सभी आरोग्य केन्द्र व्यवस्थित रूप से संचालित होकर समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

योजनाओं को समुदाय आधारित बनाने के लिये "हमारा स्वास्थ्य, हमारा दायित्व" योजना के तहत 10 हजार मास्टर-ट्रेनर के माध्यम से एक लाख स्वास्थ्य कर्मी, जिसमें आशा कार्यकर्ता, एनएम और आँगनवाड़ी कार्यकर्ता सम्मिलित हैं एवं लगभग 6 लाख ग्राम स्वास्थ्य समितियों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। मार्च माह तक 31 जिलों में प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। शेष सभी जिलों में इस माह तक प्रारंभ कर चालू वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। अभी तक 87 हजार 430 समिति सदस्य इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किये गये हैं।

ये प्रशिक्षित सदस्य जन-स्वास्थ्य के सभी घटक स्वास्थ्य, पोषण, शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता के लिये प्रतिबद्ध होंगे और ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित सेवाओं को सुनिश्चित करेंगे। सभी ग्राम-सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों को सशक्त करने और "हमारा स्वास्थ्य, हमारा दायित्व" योजना के क्रियान्वयन में शासन के महिला-बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों का आपसी समन्वय और सहभागिता रहेगी।

❑ विश्मिता श्रीवास्तव

अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की शक्तियाँ और अधिकार

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अध्याय 14-क में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध धारा 129क में ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्य का प्रावधान कर ग्राम सभाओं को सशक्त किया गया है। पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा एक्ट) के प्रावधानों में ग्राम सभाओं को दी गई शक्तियों एवं अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना है। इस संबंध में जारी आदेश का यथावत प्रकाशन पंचायिका में किया जा रहा है।

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
1, प्रशासनिक क्षेत्र (तिलहन संघ परिसर) भोपाल 462004
(Telephone No. 0755-2557727, Fax No. 0755-2552899)
(E-mail : dirpanchayat@mp.gov.in)

क्रमांक/पंचा-/2013/3548 भोपाल, दिनांक 16.04.2013

प्रति,

कलेक्टर,

जिला - झाबुआ, अलिराजपुर, बड़वानी, मण्डला, डिण्डोरी, अनूपपुर, धार, खरगोन, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, श्योपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, उमरिया एवं सीधी मध्यप्रदेश।

विषय - पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा एक्ट) के प्रावधानों में ग्राम सभाओं को दिये गये शक्तियों अधिकारों को लागू करना।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 10.09.2012 को प्रदेश में भ्रमण के दौरान उठाये गये मुद्दे अर्थात् पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा एक्ट) के प्रावधानों में ग्राम सभाओं को दिये गये शक्तियों एवं अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना है।

1. म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अध्याय 14-क अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध धारा 129क, धारा 129ख, धारा 129ग में ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्य का प्रावधान किया जाकर ग्राम सभाओं को सशक्त किया गया है उद्धरण निम्नवत है -

धारा 129-ख- "ग्राम" तथा ग्राम सभा का गठन - () राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये किसी "ग्राम" को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

(2) साधारणतया, ग्राम के लिए, जैसा कि उपधारा (1) में परिभाषित है, एक ग्राम सभा होगी।

परन्तु ग्राम सभा के सदस्य, यदि ऐसा चाहे तो किसी ग्राम में एक से अधिक ग्रामसभा का गठन ऐसी रीति में किया जा सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए और ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा के क्षेत्र में आवास या आवास का समूह अथवा छोटा गाँव या छोटे गाँवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करेगा।

(3) ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मिलन के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-दशमांश से या ग्राम सभा के कुल पाँच सौ सदस्य इनमें से जो भी कम हो, से अन्यून सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(4) "ग्रामसभा" के सम्मिलन की अध्यक्षता, ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो पंचायत का

सरपंच या उपसरपंच या कोई सदस्य न हो और जो उस सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वाराा इसप्रयोजन के लिए निर्वाचित किया गया हो।

धारा 129-ग- ग्रामसभा की शक्तियाँ और कृत्य - किसी अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम सभा को धारा 7 के अधीन प्राप्त शक्तियों तथा कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कृत्य भी होंगे अर्थात् -

(एक) व्यक्तियों की परम्पराओं तथा रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रूढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करना,

(दो) ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्रोतों को, जिनके अंतर्गत भूमि, जल तथा वन आते हैं उसकी परम्परा के अनुसार और संविधान के उपबंधों के अनुरूप और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सभ्यक् ध्यान रखते हुए प्रबन्ध करना,

(तीन) ग्राम के बाजारों तथा मेलों को, जिनमें पशुमेला सम्मिलित है चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाए, ग्राम पंचायत के माध्मम से प्रबंध करना,

(चार) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप-योजनाएं सम्मिलित हैं तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्रोतों पर व्ययों पर नियंत्रण रखना, और,

(पांच) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या न्यस्त करें।

अतः पंचायत/उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों में ग्राम सभाओं को प्रदत्त की गई शक्तियों के अनुसार पालन किया जाकर ग्राम सभाओं को सशक्त किया जावे।

(रघुवीर श्रीवास्तव)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्रमांक/पंचा-/2013/3549 **भोपाल, दिनांक 16.04.2013**

प्रतिलिपि -

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - झाबुआ, अलिराजपुर, बड़वानी, मण्डला, डिण्डोरी, अनूपपुर, धार, खरगोन, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, श्योपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, उमरिया एवं सीधी मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 में दिशा-निर्देश

मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनान्तर्गत राशि सीधे उनके खाते में स्थानांतरित की जाती है। मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के अनुसार एक हजार पाँच सौ रुपये से अधिक रकम जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, सभी संदाय केवल चेक के माध्यम से किये जायें और दस हजार रुपये के अधिक संदाय की स्थिति में संदाय केवल 'पाने वाले के खाते में देय' चेक के माध्यम से होना चाहिए। इस आदेश को यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
1, प्रशासनिक क्षेत्र (तिलहन संघ परिसर) भोपाल 462004
(Telephone No. 0755-2557727, Fax No. 0755-2552899)
(E-mail : dirpanchayat@mp.gov.in)

क्रमांक/पंचा-/2013/3419 भोपाल, दिनांक 12.04.2013

प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय - म.प्र. ग्राम पंचायत (लेखा) नियम 1999 का पालन करने बाबत्।

ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनान्तर्गत शासन निर्देशानुसार राशि सीधे उनके खाते में स्थानान्तरित की जाती है. म.प्र. ग्राम पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के नियम 20 के अनुसार ग्राम पंचायत खाते से निधियों का आहरण का प्रावधान है। किन्तु कुछ-कुछ जिलों से सूचना प्राप्त हो रही है कि ग्राम पंचायतों के खातों पर संबंधित, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा प्रतिबंध लगाया जाकर संबंधित बैंक को पत्र जारी कर दिया जाता है कि इस कार्यालय की अनुमति/निर्देश के बाद ही राशि का आहरण ग्राम पंचायतों को किया जाए। जिससे अनावश्यक रूप से राशि के भुगतान में विलंब होता है तथा चल रहे विकास कार्य प्रभावित होते हैं जबकि अधिनियम तथा नियमों में प्रतिबंध लगाने का प्रावधान नहीं है।

म.प्र. ग्राम पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के नियम 39 अनुसार रुपये 1500/- से अधिक या ऐसी उच्चतर रकम, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, सभी संदाय केवल चेक के माध्यम से ही किये जाएंगे, रुपये 10,000/- या अधिक के संदाय की स्थिति में संदाय केवल 'पाने वाले के खाते में देय' चेक के माध्यम से होना चाहिए।

अतः उपरोक्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए ग्राम पंचायतों के खातों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया बंद की जावे।

(रघुवीर श्रीवास्तव)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

जनपद एवं जिला पंचायतों की वार्षिक रिपोर्ट

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में पंचायत राज संस्थाओं के वार्षिक लेख एवं प्रशासन रिपोर्ट तैयार किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक जनपद/जिला पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित प्रारूप में विहित की गई जानकारी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी प्राप्तियाँ तथा व्यय के बजट का प्राक्कलन तैयार करेगी एवं उसका अनुमोदन विहित प्राधिकारी से करवायेगी।

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में पंचायत राज संस्थाओं के वार्षिक लेख एवं प्रशासन रिपोर्ट तैयार किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक जनपद/जिला पंचायत, प्रतिवर्ष निर्धारित प्रारूप में इस हेतु विहित की गई रीति में आगामी वित्तीय वर्ष के लिये अपनी प्राप्तियाँ तथा व्यय के बजट का प्राक्कलन तैयार करेगी एवं तैयार किये गये बजट प्राक्कलन का अनुमोदन विहित प्राधिकारी (जनपद पंचायत के मामले में उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, जिला कार्यालय एवं जिला पंचायत के मामले में आयुक्त/संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय) से अनुमोदित करावेगी। पंचायतों द्वारा वार्षिक लेखे तथा प्रशासन रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करने का नियम है।

नियमानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्ति पर जनपद/जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा या इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उस वर्ष की कालावधि से संबंधित वार्षिक लेखा तथा प्रशासन की रिपोर्ट विनिर्दिष्ट प्रारूपों में तैयार करेंगे। जनपद पंचायत के मामले में उसकी अधिकारिता में आने वाली ग्राम पंचायतों से संबंधित तथा जिला पंचायत के मामले में उसकी अधिकारिता में आने वाली जनपद पंचायतों से संबंधित जानकारी प्रशासन की रिपोर्ट में शामिल की जावेगी। इस प्रकार तैयार की गई रिपोर्ट जनपद/जिला पंचायत के सम्मिलन में प्रतिवर्ष 15 जून तक प्रस्तुत किया जाना चाहिये। जनपद/जिला पंचायत उक्त रिपोर्ट को संकल्प पारित करके उसी रूप में या ऐसे संशोधन के साथ, जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं पारित कर 30 जून तक अनुमोदित करावेगी।

वार्षिक लेखा एवं प्रशासन रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित विवरणियाँ संलग्न की जाने का प्रावधान है -

1. जनपद/जिला पंचायत की प्राप्तियां के साथ बजट प्राक्कलनों तथा परिवर्तन के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।
2. जनपद/जिला पंचायत के व्ययों के साथ बजट प्राक्कलनों तथा परिवर्तनों के कारण को दर्शाने वाला विवरण।
3. जनपद/जिला पंचायत को प्रतिवर्ष के दौरान प्राप्त तथा वितरित या खर्च किये गये अनुदानों का विवरण।
4. जनपद/जिला पंचायत को वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा प्रायोजित योजनाओं के वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ का विवरण।
5. जनपद/जिला पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान निष्पादित किये गये कार्यों, स्कीमों का विवरण।
6. जनपद/जिला पंचायत का वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार तथा निकायों से प्राप्त ऋण तथा किये गये भुगतानों का विवरण।
7. जनपद/जिला पंचायत की चल आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण।
8. जनपद/जिला पंचायत की सामान्य जानकारी।
9. जनपद/जिला पंचायत के सदस्यों का विवरण।

(शेष पृष्ठ 26 पर)

निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं में उद्‌भूत रिक्तियों का भरा जाना

73वें संविधान संशोधन से पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ है जिसके फलस्वरूप पंचायतों के निर्वाचन प्रति पाँच वर्ष में कराना राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है। पंचायतों में किसी पदधारी की पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने, उसे हटा दिये जाने या उसके त्यागपत्र दिये जाने पर छः महीने के भीतर उस रिक्त पद का भरा जाना अनिवार्य है।

73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक निकाय का दर्जा एवं मान्यता प्राप्त हुई है। इस संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों के निर्वाचन प्रति पांच वर्ष में कराना राज्य सरकारों के लिए बाध्यता है। संविधान का अनुच्छेद 243(ई) में उपबंधित है कि प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक कार्य करती रहेगी। इसी प्रकार का प्रावधान मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 9 में है।

73वें संविधान संशोधन, 1992 तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में प्रावधान है कि पंचायतों में हुए रिक्त पद छह माह के भीतर भरे जाएंगे। अर्थात् किसी पद में हुई रिक्ति की पूर्ति छह माह के भीतर की जाना है।

2. रिक्तियों का कारण या रिक्तियां कब होती हैं -

- पंचायत के किसी निर्वाचित पदधारी की मृत्यु होने पर।
- स्वेच्छा से त्याग-पत्र देने पर।
- अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत पद से हटाये जाने पर।
- विधान सभा/संसद सदस्य बनने पर धारित पद में आकस्मिक रिक्ति समझी जाएगी।
- अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।

पंचायत - को अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (सत्रह) में परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत शामिल है।

पदधारी - शब्द को भी धारा2 के खण्ड (तेरह) में परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच एवं पंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य शामिल हैं।

अतः रिक्ति का आशय किसी भी पंचायत में किसी भी धारित पद में हुई आकस्मिक रिक्ति से है।

आशय यह है कि किसी पंचायत में किसी पदधारी की पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने या उसके हटा दिये जाने या उसके द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने या उसके राज्य विधानसभा का सदस्य या संसद के किसी सदन का सदस्य हो जाने की दशा में यह समझा जायेगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसे रिक्ति इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन द्वारा यथा शीघ्र भरी जाएगी।

3. किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में यथास्थिति ग्राम पंचायत का सचिव, पंचायत का एक विशेष सम्मिलन तत्काल बुलायेगा किन्तु जो ऐसी रिक्ति के संबंध में विहित प्राधिकारी से सूचना प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के पश्चात् की न हो और सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे जो तब तक अस्थाई रूप से पद धारण करेगा

जब तक कि इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार यथास्थिति नवीन सरपंच निर्वाचित नहीं हो जाता है और यथास्थिति ऐसा स्थानापन्न सरपंच निर्वाचन के लंबित रहने के दौरान सरपंच के समस्त कर्तव्यों का पालन और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

परन्तु यदि सरपंच का पद अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य के लिये या महिला के लिये आरक्षित हैं तो स्थानापन्न सरपंच ऐसे संवर्ग से संबंधित सदस्यों में से निर्वाचित किये जाएंगे।

परन्तु यह और भी कि जहां सरपंच का पद अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिला के लिये आरक्षित है और उस प्रवर्ग की कोई ऐसी अन्य महिला नहीं है कि स्थानापन्न सरपंच के रूप में निर्वाचित किया जा सके, यहाँ अन्य आरक्षित प्रवर्गों में से किसी अन्य महिला को आकस्मिक रिक्ति के दौरान स्थानापन्न सरपंच के रूप में निर्वाचित किया जा सकेगा।

4. ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। पंचायतों में उद्‌भूत उक्त पदों में आकस्मिक रिक्ति की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय) द्वारा सचिव राज्य निर्वाचन आयोग को यथा समय सूचित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष में रिक्तियों की पूर्ति हेतु उपनिर्वाचन प्रतिवर्ष मई-जून एवं नवम्बर-दिसम्बर में कराये जाकर पदों की पूर्ति कराई जाती है।

5. ग्राम पंचायत के उप सरपंच, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होता है। अर्थात् निर्वाचन पंचों द्वारा अपने में से उपसरपंच का चुनाव किया जाता है। इसी प्रकार जनपद/जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव अपने सदस्यों में से किया जाता है।

6. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 89 के अनुसार किसी पदधारी के पद में हुई आकस्मिक रिक्ति की सूचना यथास्थिति ग्राम पंचायत के सचिव तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला/जनपद पंचायत द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिक्ति की सूचना सचिव राज्य निर्वाचन आयोग को दी जाएगी। आयोग द्वारा जारी निर्देशों एवं नियत तिथि पर निर्वाचन की कार्यवाही जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूरी कराई जाएगी।

मध्यप्रदेश पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 12 के अनुसार निर्वाचन के लिए सम्मिलन की सूचना सक्षम अधिकारी द्वारा निर्वाचन के लिए नियत तिथि से कम से कम पांच दिन पूर्व संबंधित सदस्यों के स्थाई पदों पर प्रेषित की जाएगी। इस सूचना में निर्वाचन हेतु आयोजित सम्मिलन की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख होगा। इन नियमों के नियम 13 में प्रावधानित अनुसार निर्वाचन कराने के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी।

पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्वाचन कार्रवाही पूरी की जाकर परिणाम घोषित किया जाएगा।

❑ एन.पी. पन्थी

(पृष्ठ 24 का शेष)

10. जनपद/जिला पंचायत की स्थायी समितियों का विवरण।
11. जनपद/जिला पंचायत की विशिष्ट प्रयोजनों हेतु गठित समितियों का विवरण।
12. जनपद/जिला पंचायत के सम्मिलनों का विवरण।
13. जनपद/जिला पंचायत के किये गये निरीक्षण/संपरीक्षा रिपोर्ट के पालन का विवरण।
14. जनपद/जिला पंचायत के सेवकों का विवरण।
15. जनपद/जिला पंचायत के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान का विवरण।
16. जनपद/जिला पंचायत द्वारा कर्मचारियों की पुर्नर्नियुक्ति, सेवावृद्धि एवं सावधि नियुक्तियों का विवरण।
17. जनपद/जिला पंचायत की विभिन्न योजनाओं के भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियों का विवरण।
18. जनपद/जिला पंचायत द्वारा क्रय किये गये वाहन, मशीनरी, उपकरण आदि का विवरण।

जनपद/जिला पंचायत द्वारा तैयार की गई वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट की एक प्रति जनपद/जिला पंचायत के सूचना पटल पर प्रत्येक वर्ष 15 जून तक प्रकाशित किये जाना चाहिये।

जनपद पंचायत के वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी, तथा संबंधित जिला पंचायत को प्रत्येक वर्ष 30 जून तक प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

इसी प्रकार जिला पंचायत के वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट आयुक्त/संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय को प्रत्येक वर्ष 30 जून तक प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

❑ जी.पी. अग्रवाल

जनपद पंचायत के अधिकार, कर्तव्य एवं कार्यक्रम

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में जनपद पंचायत के कार्य संचालन के लिए अधिकार, कर्तव्य और कार्यक्रम बनाये गये हैं। शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अपने क्षेत्र में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जनपद पंचायत की होती है।

1. स्कूल शिक्षा विभाग

1. ग्राम पंचायत क्षेत्र की सभी शालाओं का निरीक्षण।
2. साक्षरता अभियान का प्रचार-प्रसार।
3. प्राथमिक शाला भवनों का निर्माण एवं विस्तार तथा संधारण।
4. छात्राओं को गणवेश प्रदाय।
5. बुक बैंक योजना।
6. औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन।
7. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान।

2. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

जिला पंचायतों द्वारा जनपद/ग्राम पंचायतों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र की गतिविधियों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जावेगी।

3. कृषि विभाग

1. कृषि का विकास और बढ़ावा देना।
2. खेती के उन्नत तरीकों का प्रचार-प्रसार तथा अमले पर नियंत्रण।
3. खरीफ और रबी फसल अभियान तथा कृषि आदानों की मांग का आकलन।
4. जैविक एवं कम्पोस्ट खेती तथा बायोगैस का प्रचार और प्रशिक्षण।
5. रासायनिक खाद, बीज, जैविक खाद, कीटनाशक औषधियों, जीवाणु, खाद, उन्नत कृषि यंत्रों जैसे आदानों की वितरण व्यवस्था तथा गुण नियंत्रण।
6. ग्रामीण विकास के अंतर्गत उर्वरक बीज, फसल गोदामों का निर्माण।
7. चयनित कृषकों को प्रदर्शन तथा मिनी किट वितरण कार्यक्रमों का नियंत्रण।
8. रु. 5.00 लाख तक की लागत की लघुत्तम सिंचाई योजनाओं का निर्माण, रख-रखाव संचालन और प्रबंधन।
9. विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन कर जिला पंचायतों को प्रस्तुत करना।

उद्यानिकी

1. उद्यानिकी का विकास।
2. पंचायत क्षेत्र के लिए उद्यानिकी विकास कार्यक्रम तैयार करना।
3. प्रदर्शन तथा मिनीकिट एवं प्रदर्शन योजनाओं के लिए कार्यक्रमों का प्रबंधन।
4. हस्तांतरित परिसंपत्तियों का रख-रखाव।

4. पशुपालन विभाग

1. पशु चिकित्सालय एवं पशुधन सेवाओं का प्रबन्धन और रख-रखाव।
2. मवेशी कुक्कुट अन्य पशुधन की नस्लों का विकास।
3. पशुधन/कुक्कुट आदि महामारी एवं छूत की बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम।
4. पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा संस्था प्राथमिक उपचार के केन्द्रों/ग्रामीण पशु चिकित्सालयों की स्थापना एवं रख-रखाव।
5. विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम।
6. महामारियों एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम में सहयोग।
7. आवश्यकतानुसार चारे की व्यवस्था और प्रबंध।

5. मछली पालन विभाग

1. 10 से 100 हैक्टेयर तक औसत जलक्षेत्र के तालाबों में मत्स्य विकास के पट्टे देना।
2. हितग्राहीमूलक योजनाओं के हितग्राहियों का चयन करना तथा जिला पंचायत को भेजना।

6. ग्रामोद्योग विभाग

1. ब्लाकवार व माइक्रोवाटर शेडवार ग्रामोद्योग के प्रभावी नियोजन व विकास की जिम्मेदारी।

7. खेल युवक कल्याण विभाग

1. विकासखण्ड स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन व जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना।

8. वन विभाग

1. कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना।

9. खनिज साधन विभाग

1. गौण खनिजों के अवैध खनन/परिवहन पर नियंत्रण का कार्य।

10. राजस्व विभाग

सार्वजनिक तालाबों की व्यवस्था।

11. ग्रामीण विकास विभाग

1. योजनान्तर्गत में उपलब्ध कराई गई राशि के 15 प्रतिशत अंश का स्वयं की प्राथमिकता अनुसार व्यय।
2. योजनान्तर्गत में उपलब्ध कराई गई राशि के 30 प्रतिशत अंश का स्वयं की प्राथमिकता अनुसार व्यय।
3. ग्राम पंचायतवार लक्ष्य का निर्धारण।
4. ग्राम पंचायतवार लक्ष्य का निर्धारण।
5. हितग्राहियों के प्रकरण तैयार करना।
6. ग्राम पंचायतवार लक्ष्य का निर्धारण।
7. एकीकृत ग्रामीण विकास योजना का क्रियान्वयन।
8. ट्रायसेम योजना का क्रियान्वयन।
9. उन्नत टूल किट प्रदाय कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
10. रु. सात लाख तक के कार्य।

प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार :

1. रु. 10 लाख तक के कार्य।

12. वित्त विभाग

1. विकासखण्ड में स्थित एवं कार्यरत सभी व्यवसायिक बैंकों के शाखा प्रबंधकों की 'खण्ड स्तरीय समन्वय समिति" की बैठक का संयोजन।

13. श्रम विभाग

1. समस्त जनपद पंचायतों को बाल श्रमिक; (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रयोजन के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
2. इंदिरा कृषि श्रमिक दुर्घटना योजना में जिला पंचायत की स्वीकृति उपरांत राशि का भुगतान।

14. सामाजिक न्याय विभाग

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन।
2. उपकरणों के वितरण हेतु शिविरों का आयोजन।
3. ग्रामीण पुस्तकालय एवं वाचनालय का पर्यवेक्षण।
4. विकलांग छात्रवृत्ति।

आदिवासी क्षेत्र और संविधान

भारत देश में, सामाजिक व्यवस्था और संसाधन प्रबंधन का काम सदियों से लोग खुद करते आए हैं। देश में हुए बाहरी हमलों और नयी संस्कृतियों से मिलने के साथ-साथ देश में सामाजिक व्यवस्था और समाज के संसाधनों पर नियंत्रण की स्थिति में बदलाव आया। ईस्ट इंडिया कम्पनी के भारत में आगमन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य जैसे-जैसे भारत में मजबूत होता गया वैसे-वैसे देश के अधिकांश हिस्सों में लोग संसाधनों के प्रबंधन की भूमिका से दूर हटते चले गए लेकिन देश के आदिवासी क्षेत्रों में यह बदलाव न तो बहुत प्रभावी हो पाया और न ही आदिवासी समाज ने इन बदलावों को बहुत आसानी से स्वीकार किया। आजादी के बाद संविधान बनाते समय देश के आदिवासी क्षेत्रों में शासन और प्रशासन की व्यवस्था पर विस्तार से बातचीत हुई और इस बात पर सहमति बनी कि आदिवासी इलाकों के प्रशासन को अलग ढंग से देखने और समझने की जरूरत है। आजाद देश में आदिवासी और जनजातीय अस्मिता बनी रहे इसके लिए पूरे देश के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग कानून बनाया गया।

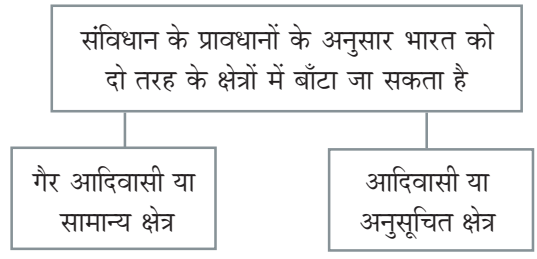

देश के आदिवासी बहुलता वाले इलाकों को संविधान ने अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पहचाना है। इस अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कानून के हिसाब से, संसद और विधानमण्डलों के ऊपर, देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधायी यानि कानून बनाने की शक्ति दी गयी हैं। अतः संविधान, लोकतंत्र और स्वराज को समझते समय संविधान के इन विशेष क्षेत्रों और प्रावधानों को समझना भी जरूरी है।

(शेष आगामी अंक में)

खनिज राजस्व : लक्ष्य से ज्यादा 2900 करोड़ प्राप्त

प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान खनिज राजस्व के निर्धारित लक्ष्य 2800 करोड़ के विरुद्ध 2901 करोड़ 37 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि यह निर्धारित लक्ष्य का 103.62 प्रतिशत है। सबसे अधिक खनिज राजस्व सिंगरौली जिले से 1167 करोड़ 57 लाख का प्राप्त हुआ है। यह जानकारी अंतरिम है तथा इसमें और बढ़ोत्तरी होना संभावित है। श्री शुक्ल ने बताया कि विगत वर्षों से खनिज राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2009-10 में 1590.46 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। पिछले वित्तीय वर्ष में भी लक्ष्य से अधिक 2901 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। खनिज राजस्व मुख्यत: कोयला, चूना, पत्थर, मैंगनीज-कॉपर, बॉक्साइट, डोलोमाइट एवं गौण खनिजों तथा ग्रामीण अवसंरचना से प्राप्त हुआ है। इसमें अनूपपुर जिले से 471 करोड़ 68 लाख रुपये, छिन्दवाड़ा से 139 करोड़ 11 लाख, बैतूल से 127 करोड़ 56 लाख, शहडोल से 125 करोड़ 15 लाख, सतना से 129 करोड़ 70 लाख, बालाघाट से 90 करोड़ 94 लाख तथा उमरिया जिले से 63 करोड़ 69 लाख रुपये का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है।

मुरैना में 28 नवीन विद्युत उपकेन्द्र स्थापित

मुरैना जिले में राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के तहत पिछले 9 वर्ष में 99 करोड़ 50 लाख रुपये लागत के 220/132 और 33 के.व्ही. के 28 नवीन विद्युत उप-केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इनकी स्थापना से जिले में विद्युत व्यवस्था में काफी सुधार आया है। जिले में ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राहत दिये जाने के उद्देश्य से उन पर बिजली बिल की बकाया 12 करोड़ 47 लाख 97 हजार की राशि माफ की गई है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की सरचार्ज की 10 करोड़ 55 लाख 14 हजार की राशि भी माफ की गई है। जिले में 37 उप-केन्द्र की क्षमता बढ़ाने पर भी14 करोड़ 79 लाख की राशि व्यय की गई है। जिले में 3,250 नये वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये हैं। विद्युत वितरण व्यवस्था के सुधार के उद्देश्य से उच्च-दाब की150 किलोमीटर एवं निम्न-दाब की 752 किलोमीटर लम्बी विद्युत वितरण लाइन खींची गई है। इस कार्य पर 49 करोड़ 18 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। जिले में राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम फीडर सेपरेशन योजना में82 करोड़ की राशि से शहर एवं गाँव के फीडर अलग-अलग करने का कार्य जारी है। इस कार्य के पूरा होने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे एवं किसानों को सिंचाई के लिये थ्री-फेस में 8 घंटे बिजली मिल सकेगी। जिले में 1,272 बीपीएल परिवार के उपभोक्ताओं की बकाया बिजली राशि 70 लाख 27 हजार माफ की गयी है। मुरैना में किसान मित्र योजना में 201 उपभोक्ता के 38 लाख 38 हजार की राशि माफ की गई है। मलिन बस्ती योजना के अंतर्गत निर्धन वर्ग के 322 उपभोक्ता की 66 लाख 7 हजार की राशि भी माफ की गई है। जिले में उपभोक्ताओं को बिजली के बिल की राशि का समय पर भुगतान किये जाने की भी लगातार समझाईश दी जा रही है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 5.50 लाख प्रकरणों का निराकरण

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मार्च माह में विभिन्न विभाग के लगभग 5 लाख 88 हजार प्रकरण का निराकरण किया गया। राजस्व विभाग के सर्वाधिक 2 लाख 81 हजार 190 प्रकरण का समय-सीमा में निराकरण किया गया। निराकृत प्रकरण में चालू खसरा की प्रतिलिपि प्रदाय करने के 1 लाख 36 हजार और खतौनी की प्रतिलिपि प्रदाय के 76 हजार 562 आवेदन शमिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के 11 लाख 1 हजार 432 निराकृत आवेदनों में 48 हजार 116 स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र तथा 63 हजार 316 आय प्रमाण-पत्र प्रदान करने के आवेदन शामिल हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ने (ग्रामीण क्षेत्र) के एक लाख4 हजार 435 प्रकरण का निपटारा किया गया। इसी प्रकार नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के 43 हजार 434, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण के 32 हजार 165, सामाजिक न्याय के 5,828, श्रम के 5,124, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के 1,238, महिला एवं बाल विकास के तहत 1,350, ऊर्जा के 990, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के 287, गृह के 490, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के 107 तथा वन विभाग के 35 प्रकरणों का समय-सीमा पर निराकरण किया गया।

20 जिलों की शैक्षणिक संस्थाओं के लिये 13 करोड़ मंजूर

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति बहुल 20 जिलों की शैक्षणिक संस्थाओं, आश्रम-छात्रावास में आदिवासी विद्यार्थियों की सुविधा एवं प्रसाधन के लिये 13 करोड़ की मंजूरी आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा दी गई है। आयुक्त आदिम-जाति कल्याण श्री उमाकांत उमराव ने विभाग के जिला अधिकारियों को इन कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किये जाने के निर्देश भी दिए हैं। राज्य में आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा 18 हजार 561 प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं

हायर सेकेण्डरी स्कूल के साथ आश्रम एवं छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा इसके अलावा कन्या शिक्षा परिसर, एकलव्य आदर्श विद्यालय भी संचालित किये जा रहे हैं। इन संस्थानों में 20 लाख से अधिक आदिवासी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विभाग द्वारा बालाघाट की 62 हाईस्कूल के लिये 52 लाख 50 हजार, धार के लिये 21 लाख 80 हजार, डिंडोरी के लिये 82 लाख 30 हजार, खण्डवा के लिये 65 लाख 50 हजार, खरगोन के लिये 1 करोड़ 62 लाख, सिवनी के लिये 12 लाख 80 हजार, झाबुआ के लिये 75 लाख, इंदौर के लिये 50 लाख 40 हजार, बड़वानी के लिये 3 करोड़ 6 लाख, मण्डला के लिये 1 करोड़ 40 लाख, सीहोर के लिये 25 लाख, छिंदवाड़ा के लिये 1 करोड़ 15 लाख, होशंगाबाद के लिये 1 करोड़ 14 लाख, अनूपपुर के लिये 33 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई हैं। इसी तरह नरसिंहपुर के लिये 8 लाख 70 हजार, कटनी के लिये 12 लाख 60 हजार, श्योपुर के लिये 11 लाख 65 हजार, गुना के लिये 4 लाख 50 हजार, देवास के लिये 5 लाख 90 हजार एवं अशोकनगर के लिये डेढ़ लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।

तीन सिंचाई परियोजनाओं के लिये 1149 करोड़ मंजूर

प्रदेश की तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1149 करोड़ 66 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुमति दी गई है। इनमें बालाघाट एवं धार जिले की एक-एक वृहद परियोजना के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं छिन्दवाड़ा जिले की एक लघु परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं से 59 हजार 770 हैक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। प्रमुख सचिव, जल संसाधन श्री राधेश्याम जुलानिया ने बताया कि राजीव सागर (बावनथड़ी) वृहद परियोजना मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र की अंतर्राज्जीय परियोजना है। परियोजना का निर्माण बालाघाट जिले की तहसील कटंगी के ग्राम कुड़वा एवं महाराष्ट्र के भण्डारा जिले की तहसील तुमसर के समीप बावनथड़ी पर किया जा रहा है। परियोजना की जलभराव क्षमता 280.24 मिलियन घन मीटर एवं उपयोगी जल भराव क्षमता 217.32 मिलियन घन मीटर है। परियोजना की लागत 1407 करोड़ 19 लाख में से मध्यप्रदेश राज्य की अंश राशि 657 करोड़ 86 लाख है। परियोजना से बालाघाट जिले में 29 हजार 412 हैक्टेयर में वार्षिक सिंचाई हो सकेगी।

राज्य स्तरीय कौशल विकास मिशन

आगामी दो वर्ष में होंगे 15 लाख युवा प्रशिक्षित

राज्य-स्तरीय कौशल विकास मिशन में आगामी दो वर्ष में 15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। अभी तक एक लाख 50 हजार युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं और इतने ही प्रशिक्षणरत हैं। इस वर्ष कौशल विकास केन्द्रों में 27 हजार, मॉड्यूलर एम्प्लायबल स्किल योजना में 60 हजार और अल्प अवधि रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण में 10 हजार व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जा रहा है। निजी प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योगों को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर के रूप में पंजीकृत किया गया है। वर्ष 2003 तक शासकीय आई.टी.आई. 151 तथा निजी आई.टी.आई. 26 थीं, जो वर्ष 2013 में बढ़कर क्रमशः 175 तथा 165 हो गई। यहाँ प्रवेश क्षमता 2003 की तुलना में 15 हजार 157 से बढ़कर 57 हजार 544 हो गई। आई.टी.आई. में कुल 579 पद भी बढ़ाए गए। इसी अवधि में इंजीनियरिंग महाविद्यालय 49 तथा पॉलीटेक्निक महाविद्यालय 44 से बढ़कर क्रमशः 228 एवं 79 हो गए हैं। उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की प्रवेश क्षमता भी इन दस वर्ष में 24 हजार 231 से बढ़कर एक लाख 49 हजार 251 हो गयी। अब प्रदेश के सभी जिलों में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं। पिछले चार वर्ष में ही 21 नवीन पॉलीटेक्निक खोले गए। प्रदेश में युवाओं को रोजगारमूलक तकनीकी शिक्षा तथा प्रदेश में नित नये लग रहे उद्योगों की जरूरत अनुसार मानव संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए 113 कौशल विकास केन्द्र में चार मॉड्यूल में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। अन्य 70 विकासखंड में निजी निवेश से कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। यहाँ पर प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाने के साथ ही प्रशिक्षण अवधि अनुसार शिष्यवृत्ति भी दी जाती है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी नई कौशल विकास योजना में युवाओं को प्रशिक्षण लेने तथा अधिकृत एजेंसी से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर 10 हजार की पुरस्कार राशि प्राप्त होगी। विभाग द्वारा नाबार्ड के सहयोग से 55 आई.टी.आई. भवन निर्माण की योजना बनाई गयी है। प्रथम चरण में 40 आई.टी.आई. भवन के लिए 160 करोड़ 74 लाख 69 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। विभाग द्वारा 31 जनवरी से एक फरवरी 2013 तक स्किल समिट की गयी। इसकी थीम "स्किलिंग मध्यप्रदेश" थी। इसमें लगभग 25 हजार विद्यार्थी का मार्गदर्शन किया गया। समिट में स्मार्ट क्लासरूम, एडवांस इंजीनियरिंग लैब, लेंग्वेज लैब एवं बीपीओ का सजीव प्रदर्शन किया गया। तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों में कम्युनिकेशन स्किल विकसित करने के लिए सभी शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज और आई.टी.आई. में लेंग्वेज लैब की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

रेल्वे सुविधाओं में पिछड़े राज्यों को मिले वरीयता

"भोपाल-बीना-भोपाल मेमू ट्रेन का शुभारंभ करते हुए लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि त्वरित गति की इस ट्रेन से यात्रियों को सुविधा होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रेल्वे सुविधाओं के मामले में जो राज्य पिछड़ रहे हैं उन्हें वरीयता दी जानी चाहिये। इस ट्रेन के शुरू होने से जनता को राहत मिलेगी।"

लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज ने गत दिनों भोपाल-बीना-भोपाल मेमू ट्रेन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से उपस्थित थे।

नेता प्रतिपक्ष श्रीमती स्वराज ने कहा कि आज यह जनता को दिये गये वचन की पूर्ति का क्षण है। उन्होंने इस ट्रेन की शुरुआत के लिये केन्द्रीय रेल मंत्री श्री पवन बंसल और पूर्व केन्द्रीय रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि त्वरित गति की इस ट्रेन से यात्रियों को सुविधा होगी। इसे होशंगाबाद इटारसी तक बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। विदिशा क्षेत्र में चार नई रेल्वे लाईन गुना-आरोन-बासौदा, सागर-छतरपुर-भोपाल, जबलपुर-उदयपुरा-सागर, इन्दौर-बुधनी-जबलपुर का सर्वे कराया जायेगा। विदिशा में ट्रेक्शन अल्टरनेटर कारखाना शुरू होगा। मिसरोद में बोगी रिपेयर की परियोजना घोषित की गयी है। उन्होंने बाद में टिकिट लेकर उसी ट्रेन से विदिशा तक की यात्रा भी की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रेल्वे सुविधाओं के मामले में जो राज्य पिछड़े रह गये हैं उन्हें वरीयता दी जानी चाहिये। ऐसे राज्यों के लिये नई रेल्वे लाइन की लागत में आधी राशि दिये जाने के प्रावधान को हटाना चाहिये। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के शुरू होने से जनता को राहत मिलेगी। श्री चौहान ने कहा कि रेल्वे की अधूरी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाये। राज्य सरकार रेल्वे को हर संभव सहयोग करेगी। भोपाल में नगरीय विकास के लिये मुख्यमंत्री अधोसंरचना में 117 करोड़ रुपये दिये हैं। भोपाल को सुन्दर तथा सुविधायुक्त शहर बनायें।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि इस तरह की और ट्रेनें चलायी जायें। शताब्दी एक्सप्रेस को हबीबगंज से चलायें। वित्त मंत्री श्री राघवजी ने कहा कि इस मेमू ट्रेन की लंबे समय से जरूरत थी। इस ट्रेन की शुरुआत से यात्रियों को सुविधा होगी। कार्यक्रम में विधायक श्री आरिफ अकील ने संबोधित किया। डी.आर.एम. राजीव चौधरी ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में महापौर श्रीमती कृष्णा गौर, विधायक सर्व श्री जितेन्द्र डागा, श्री ध्रुवनारायण सिंह और श्री विश्वास सारंग तथा नगर निगम अध्यक्ष श्री कैलाश मिश्रा भी उपस्थित थे।

विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन जरूरी - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। पर्यावरण सुरक्षित रहे और विकास के काम भी प्रभावित नहीं हों। इस तरह का व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिनों भोपाल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री श्रीमती जयंती नटराजन भी उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता भारतीय संस्कृति के मूल में है। हमारे यहां सदियों से पशु, पक्षी, पेड़ और नदियों की पूजा की परंपरा रही है। भारतीय स्वभाव से प्रकृति प्रेमी हैं। आज प्रकृति और पर्यावरण से खिलवाड़ के कारण सृष्टि का चक्र बदल गया है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या का सामना विश्व को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 33 प्रतिशत वन क्षेत्र है, इसे बनाये रखने के लिये हम प्रतिबद्ध हैं। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन भी जरूरी है क्योंकि हमें विकास के लिये सिंचाई परियोजनाएं, अच्छी सड़कें और विद्युत उत्पादन करना है। इस दिशा में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रदेश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविदों की कार्यशाला आयोजित की जाये। प्रदेश सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को हर संभव सहयोग करेगी।

केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती नटराजन ने कहा कि हर कीमत पर विकास को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। बल्कि पर्यावरण हितों का ध्यान रखा जाना चाहिये। सही अर्थों में विकास पर्यावरण मित्र ही हो सकता है। भोपाल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बैंच स्थापित किया जाना महत्वपूर्ण कदम है। हमारी प्रतिबद्धता आम लोगों तक पर्यावरणीय न्याय पहुंचाना है। प्रदूषण रहित स्वच्छ वातावरण आम आदमी का अधिकार है। देश को विकास की जरूरत है पर प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी से उपयोग भी आवश्यक है। हम बड़ी आर्थिक शक्ति बनेंगे परन्तु हम पर्यावरण मित्र स्थायी विकास करेंगे। इस ग्रीन ट्रिब्यूनल में कोई भी आम आदमी न्याय के लिये आ सकता है। यहां पर हर प्रकरण में पर्यावरण पर होने वाले दीर्घकालीन प्रभावों को ध्यान में रखकर निर्णय लिये जायेंगे। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री के.के. लाहोटी ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की इस बैंच से मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ होगा। उच्च न्यायालय में लंबित पर्यावरण संबंधी मामले अब इस बैंच को स्थानांतरित कर दिये जायेंगे।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन न्यायमूर्ति श्री स्वतंत्र कुमार ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि पर्यावरण न्याय के क्षेत्र में यह एक नई शुरुआत है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट वर्ष 2010 में बना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बैंच पुणे और कलकत्ता में भी शुरू की जायेगी। इस बैंच के माध्यम से आम आदमी को न्याय मिले तभी इसका उद्देश्य पूरा होगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी सरकार

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गाँवों में बिजली और सड़क की आधारभूत सुविधाओं की सुलभता के बाद मध्यप्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनायेगी। उन्होंने युवाओं का आव्हान किया कि वे मध्यप्रदेश में उद्यम क्रांति का श्रीगणेश करें। उनके लिये ही मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिनों खंडवा जिले के पंधाना में किसान एवं विकास सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में 61 करोड़ 33 लाख 53 हजार रुपये के 64 कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने किसानों की बहुप्रतीक्षित माँग को पूरा करते हुए छैगाँवमाखन क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल के लिये उद्वहन सिंचाई का सर्वे करवाने की घोषणा की। नर्मदा परियोजना मुख्य नहर से उद्वहन सिंचाई योजना द्वारा छैगाँवमाखन विकासखण्ड की सिंचाई के लिये नहर लाई जायेगी। इस योजना से ग्रे-बेल्ट में आ चुके छैगाँवमाखन विकासखण्ड की लगभग 34 हजार हैक्टेयर जमीन सिंचित होगी तथा डेढ़ लाख ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में आम आदमी और किसानों के लिये जो कहा था वह कर दिखाया है। किसानों के लिये जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन, गेहूँ पर बोनस तथा आम आदमी को निःशुल्क दवाएँ ऐसे काम हैं, जिनसे सर्वहारा वर्ग को बड़ा सहारा मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से दस साल पहले की सरकार ने कभी आम आदमी और गाँवों के उत्थान के लिये गंभीरता से नहीं सोचा। हमारी सरकार ने गाँवों में समग्र विकास का कार्य आरंभ किया है। माताओं-बहनों के लिये हर घर में नल से जल प्रदाय की योजना बन गई है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और पंच-परमेश्वर योजना से गाँवों में आवागमन में सुविधा हो रही है। अब गाँवों में नाई, मोची, लुहार, कुम्हार जैसे परम्परागत व्यवसायों में भी कला-कौशल के प्रशिक्षण की शुरुआत कर व्यवसाय जमाने में सरकार आर्थिक मदद देगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। खेती की दशा तो सुधरी पर इसमें निर्भरता भी कम होनी चाहिये।

श्री चौहान ने युवाओं से मध्यप्रदेश में उद्यम क्रांति का आह्वान कर घोषणा की कि जो भी युवा अपना उद्यम शुरू करेगा, उसे बैंक से लोन की गारंटी देने के लिये मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना बनाई गई है। इस साल एक लाख युवाओं के उद्यम प्रारंभ करवाने का लक्ष्य है। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में अब लघु उद्योगों की एक लहर शुरू होनी चाहिये और गाँव-गाँव में विभिन्न उत्पादक इकाइयाँ लगनी चाहिये। कार्यक्रम को जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री राजपाल सिंह तोमर, विधायक श्री अनारसिंह वास्कले, पूर्व सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने भी संबोधित किया।

सागर में 127 करोड़ की सिंचाई परियोजना का शिलान्यास

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के युवा उद्यमिता के गुण पैदा करें। युवा स्वयं का रोजगार स्थापित करने के साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार दें। श्री चौहान ने गत दिनों सागर की जनपद पंचायत केसली में127 करोड़ लागत की सोनपुर मध्यम सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कर रहे थे। श्री चौहान ने 400 करोड़ लागत के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना का शुभारंभ भी किया। समारोह में वित्त मंत्री श्री राघवजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, सांसद श्री शिवराज सिंह लोधी और विधायक श्री भानु राणा उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिये गाँवों में छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देगी। सरकार ऋण की गारन्टी लेने के साथ ही युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण भी दिलायेगी। इसके अलावा 5 वर्ष तक ब्याज सब्सिडी भी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में परपंरागत लघु उद्योगों को स्थापित करवाया जायेगा। ग्रामीण कारीगरों को बेरोजगार नहीं होने दिया जायेगा। ऐसे कारीगरों को50 हजार तक ऋण मुहैया करवाया जायेगा, जिस पर 10 हजार रुपये की छूट सरकार देगी।

श्री चौहान ने कहा कि छोटे गाँवों में ग्रामीण हाट बनाई जायेंगी, जिसमें 7-8 दुकान होंगी। ये दुकानें कपड़ों पर प्रेस करने, बढ़ईगिरी, कुम्हारी, हेयर सैलून, मोची आदि कारीगरों की होंगी। इस प्रकार प्रदेश के लगभग 5 लाख कारीगर को उनके गाँव में ही रोजगार मुहैया होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि देवरी क्षेत्र में 1000 प्रकरण मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना में स्वीकृत करें। मुख्यमंत्री ने अटल ज्योति योजना के बारे में कहा कि सागर जिले में माह मई के अंत तक 24 घंटे बिजली देना शुरू कर दिया जायेगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि केसली विकासखंड में इतनी बड़ी सिंचाई परियोजना मिली है। इससे इस सूखाग्रस्त क्षेत्र में फसल की पैदावार बढ़ेगी और खुशहाली आयेगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की महिलाओं ने स्वावलम्बन द्वारा हल्दी एवं दुग्ध उत्पादन शुरू किया है। इसमें 5000 महिलाओं को रोजगार मिला है।

मुख्यमंत्री ने समारोह में 400 करोड़ लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। इनमें 46 करोड़ रुपये के कार्यों का लोकार्पण तथा शेष का भूमि-पूजन शामिल है। उन्होंने सोनपुर मध्यम सिंचाई परियोजना का भूमि-पूजन भी किया। इस परियोजना से 7000 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी तथा 35 ग्रामों के 2305 कृषक लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़कों, स्टाप डेम आदि के 13 करोड़ 9 लाख लागत के 28 निर्माण कार्यों के लिये शिलान्यास और लोकार्पण किये। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया।

पंचायतों के सशक्तीकरण का संकल्प दोहराया

बीस साल पहले चौबीस अप्रैल उन्नीस सौ बानवे को देश में लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण की दिशा में भारतीय संविधान में "पंचायत एवं ग्राम स्वराज" की स्थापना और पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मूर्तरूप देने के लिए तिहत्तरवाँ संविधान संशोधन किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं के इतिहास में यह दिन एक महत्वपूर्ण दिन है और सरकार ने इस दिन को 'राष्ट्रीय पंचायत दिवस' के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। 'राष्ट्रीय पंचायत दिवस' का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 24 अप्रैल को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। इस समारोह में प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावद जनपद की सारंगी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा को ग्राम विकास में दायित्वों के श्रेष्ठतम निर्वहन के लिए वर्ष 2012-13 के 'राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी समारोह में' पंचायत सशक्तीकरण तथा जवाबदेही प्रोत्साहन पुरस्कार से दो जिला पंचायतों, दो जनपद पंचायतों और बारह ग्राम पंचायतों को भी सम्मानित किया गया।

सारंगी ने पाया आठ लाख रुपयों का पुरस्कार

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने झाबुआ जिले के पेटलावद विकासखण्ड की ग्राम पंचायत, सारंगी को वर्ष 2012-13 के राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा सम्मान से पुरस्कृत किया गया। विकास में श्रेष्ठतम दायित्वों के निर्वहन के लिए पुरस्कारस्वरूप सम्मान पट्टिका और आठ लाख रुपयों का पुरस्कार सारंगी पंचायत की सरपंच श्रीमती फुन्दीबाई मैदा की ओर से ग्रामसभा की एक सदस्य ने प्राप्त किया। इसी समारोह में पंचायतों के सशक्तीकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन पुरस्कार 2013 से इन्दौर और सागर जिला पंचायतों को चालीस-चालीस लाख रुपयों और हरदा व खरगोन जनपद पंचायतों को बीस-बीस लाख रुपयों और ग्राम पंचायत लिक्खी, बड़गाँव और मोरठ (सभी खरगोन), रायबोर और भाट परोनिया (हरदा), आंगनवाड़ी (नरसिंहपुर), गोगावरी (उमरिया), रामपुर और बरखेड़ा गोठान (सागर) और इन्द्री (मण्डला) को दो-दो लाख रुपये इस प्रकार प्रदेश की सत्रह पंचायतों को दो करोड़ दो लाख रुपयों के सम्मान दिये गये।

प्रदेश की पंचायतों में भी मना 'राष्ट्रीय पंचायत दिवस'

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि प्रदेश में भी जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों के स्तर पर विभिन्न समारोहों का आयोजन किया गया ताकि इस दिवस की सार्थकता स्थापित हो सके। इस अवसर पर प्रत्येक गाँव में राष्ट्रीय पर्व के सादृश्य प्रभात फेरियाँ निकाली गईं और ग्राम स्वराज व्यवस्था को प्रभावी बनाने के संबंध में परिचर्चा, संगोष्ठी एवं चिंतन बैठकों का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में पंचायती राज व्यवस्था पर निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और स्कूलों एवं कॉलेजों में लोकतंत्र के सशक्तीकरण की आवश्यकता एवं सत्ता के विकेन्द्रीकरण की महत्ता पर परिचर्चा की गई। जिला एवं जनपद स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये गए कार्यों की भूमिका तथा उनके योगदान की समीक्षा की गई, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के संबंध में योगदान पर सेमीनार आयोजित किये गए एवं नागरिकों का वित्तीय समावेशन द्वारा समग्र विकास एवं वित्तीय साक्षरता के महत्व तथा ई-पंचायत की परिकल्पना पर भी चर्चा की गई। स्थानीय विकास की संभावनाओं तथा स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोतों की तलाश और पर्यावरण संरक्षण एवं स्थानीय पारिस्थितिकी के बारे में चिन्तन तथा संरक्षण के उपायों पर भी चर्चा की गई। इस एक विशेष समारोह में पंचायतों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में पंचायतों की आय के स्रोतों में बढ़ोत्तरी की चर्चा भी की गई। कुछ पंचायतों में इस दिन ग्राम सभा की अनुमति से पंचायत क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले प्रतिनिधियों को पुरस्कृत भी किया गया।

राष्ट्रीय पंचायत दिवस

प्रदेश में मजबूत हैं पंचायत राज संस्थाएं

पंचायत राज व्यवस्था के तहत प्रदेश में पंचायत राज संस्थाएं देश के अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा मजबूत हैं। प्रदेश में आरम्भ की गई पंच परमेश्वर योजना में आबादी के मान से विकास के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था की गई है। पिछले दो वर्षों में तेईस हजार छः ग्राम पंचायतों को पंच परमेश्वर योजना के तहत अट्ठाईस हजार करोड़ रुपये दिये गए जिससे ग्राम पंचायतों में सीमेन्ट कांक्रीट की सड़कें और नालियाँ बनाई गई हैं। जिला और जनपद पंचायतों को परफारमेन्स ग्राण्ट के रूप में पिछले दो साल में तीन सौ चौरासी करोड़ रुपये दिए गए हैं। जिला पंचायतों को तीन किश्तों में तीन करोड़ रुपये और जनपद पंचायतों को तीन किश्तों में पिचहत्तर लाख रुपये दिए गए हैं। ई-पंचायत की व्यवस्था के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर, लेजर-प्रिण्टर, एल.सी.डी. और टी.वी. के लिए दो सौ बीस करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री और मंत्रिगण ने दी बधाई

राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर नई दिल्ली में सम्मानित होने वाली इन्दौर और सागर की जिला पंचायतों, हरदा और खरगोन जनपद पंचायतों तथा लिक्खी, बड़गाँव, मोरठ, रायबर, भाट परोनिया, आँगनवाड़ी, गोगावरी, रामपुर, बरखेड़ा गोठान और इन्द्री ग्राम पंचायतों को सशक्तीकरण तथा जवाबदेही प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह, पंचायत मंत्री श्री गोपाल भार्गव और पंचायत राज्यमंत्री श्री देवीसिंह सैयाम ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री जी तथा मंत्रीद्वय ने राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा का पुरस्कार पाने वाली झाबुआ जिले की सारंगी ग्राम पंचायत को भी बधाई दी है।

प्रदेश में सरपंचों के बढ़ाये गए वित्तीय अधिकार

प्रदेश में पंचायत राज के सशक्तीकरण के लिए सरपंचों को अब दस लाख रुपयों तक के मंजूरी के अधिकार दिये गये हैं। इसी प्रकार नये पंचायत भवन बनाने के लिए सरपंच पन्द्रह लाख रुपये तक की मंजूरी दे सकेंगे और अब ग्राम पंचायतें ही स्वयं के पंचायत भवन बनायेंगे। इस अवधि में राज्य में दो हजार तीन सौ पचास नई पंचायत भवन बने हैं और सभी तेईस हजार छः ग्राम पंचायत भवनों में अब ई-पंचायत के लिए विशेष कक्षों का निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं प्रदेश के चार लाख पंचायत पदाधिकारियों का मानदेय बढ़ा है और प्रदेश में पहली बार अब निर्वाचित पंचों को भी बैठक भत्ता मिलेगा। पंचायतों के स्वावलम्बन को प्रोत्साहित करने के लिए स्व-कराधान योजना में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का पचास फीसदी एकत्रित करने वाली पंचायत को प्रति पंचायत पचास लाख रुपयों की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी मध्यप्रदेश अग्रणी है। प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं में महिलाओं के लिए पचास फीसदी स्थान आरक्षित हैं मगर इस समय बावन प्रतिशत सीटों पर निर्वाचित महिला पंचायत पदाधिकारी हैं।

चौदह अप्रैल की ग्रामसभा भी महत्वपूर्ण थी

भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती पर प्रतिवर्ष चौदह अप्रैल को ग्रामसभाओं का त्रैमासिक सम्मिलन होता है। अब प्रदेश में ग्रामसभाओं का सम्मिलन चरणबद्ध रूप में होता है। इस बार भी प्रदेश में ये त्रैमासिक ग्रामसभाएं चौदह से इक्कीस अप्रैल तक हुईं। हमेशा की तरह इस बार भी ग्रामसभा के एजेण्डे में तेईस विषयों को सामान्य कार्य व्यवहार के अलावा प्रस्तावित किया गया था। इन ग्रामसभाओं में पंच परमेश्वर योजना की प्रगति और स्वच्छ पेयजल की सुलभता और निरन्तरता की समीक्षा की गई। ग्रामसभा में वनवासी पट्टों के वितरण, वर्ष 2013-14 की विभिन्न योजनाओं का अनुमोदन तथा समग्र स्वच्छता व मर्यादा अभियान की समीक्षा भी की गई। इन ग्रामसभाओं में गाँव में वृक्षारोपण, मध्याह्न भोजन तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में मुख्यरूप से ए.एन.एम. के भ्रमण और टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा की गई। मनरेगा के तहत वांछित सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति भी जाँची गई। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के प्रचार प्रसार का जिम्मा भी इस अवसर पर ग्रामसभा को सौंपा गया। कुपोषित बच्चों को आंगनवाड़ी पहुँचाने तथा कुपोषण मिटाने का संकल्प भी इस एक ग्रामसभा में लिया गया।

❑ संध्या दुबे

पुनासा का कृषि व्यवसाय नई करवट लेगा

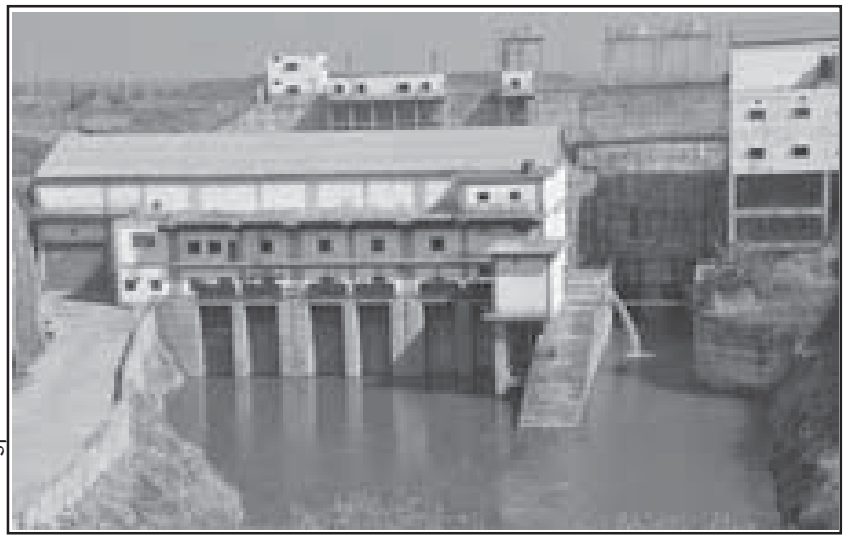

मध्यप्रदेश में कृषि व्यवसाय को अधिकाधिक लाभकारी बनाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। सिंचाई सुविधा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। कृषि का विकास, जल स्त्रोतों के बेहतर उपयोग और उत्तम सिंचाई प्रबंधन पर निर्भर करता है। यह सही है कि सिंचन क्षमता में आशातीत वृद्धि की जा रही है लेकिन इसके साथ ही सिंचाई की बढ़ती हुई मांग और जरूरत भी अपने स्थान पर ज्यों कि त्यों बनी रहती है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई की बढ़ती हुई मांग को भी पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव और कारगर पहल कर रही है। किसानों की समृद्धि और खुशहाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य खण्डवा जिले के पुनासा क्षेत्र में पुनासा उद्वहन सिंचाई की एक महत्वाकांक्षी योजना (ग्राम चाँदेल) के जरिये, इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के शीर्ष पर निर्मित कन्ट्रोल स्ट्रक्चर के जेकवेल से जल उद्वहन कर सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जाने लगा है।

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना पूर्व में छोटा तवा नदी पर प्रस्तावित छोटा तवा परियोजना का विकल्प है। इस योजना से जिले के 110 ग्रामों की 35 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई एवं पेयजल प्रदाय तथा निकटवर्ती मूंदी नगर के लिए पेयजल आपूर्ति भी की जायेगी। इंदिरा सागर बांध निर्माण से प्रभावित विस्थापितों को पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र में 13 पुनर्वास स्थलों पर बसाया गया है एवं अधिकतम विस्थापित इसी क्षेत्र में अन्य ग्रामों में बसे हुए हैं। इस योजना से लाभान्वित 110 ग्रामों में इंदिरा सागर बांध से प्रभावित 23 ग्राम भी सम्मिलित हैं। लाभान्वित कृषकों में लगभग25 प्रतिशत आदिवासी हैं। परियोजना का सम्पूर्ण सिंचाई क्षेत्र सूखा प्रभावित है। पुनासा उद्वहन सिंचाई परियोजना से विगत माह नवम्बर 2011 से रबी मौसम की फसलों के लिए किसानों को पानी देना शुरू कर दिया गया है।

तीन चरणों में पूर्ण होने वाली इस परियोजना से कुल 35 हजार हैक्टेयर रकबा सिंचित होगा। इसके लिए 57 हजार 778 मीटर लम्बी पाईप लाइन बिछाई जायेगी। योजना के तहत जल प्रबंधन सुचारू और व्यवस्थित बना रहे, इसके लिये मनरेगा के अंतर्गत 42 करोड़ रुपये की एक और योजना प्रस्तावित है जिसके तहत किसान अपने खेतों में पाईप लाइन बिछाकर सिंचाई लाभ ले सकेंगे। दरअसल यह एक ऐसी अभिनव योजना है जिसमें नहरों के जाल बिछाने के बजाए दो मीटर व्यास वाली पाईप लाइन के जरिये सिंचाई हेतु भूमिगत जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। साथ ही लाभान्वित होने वाले ग्रामों को पेयजल भी उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सम्पूर्ण सिंचाई भूमिगत पाईप लाइन के जरिये ही होने से भू-अर्जन न्यूनतम हैं। योजना हेतु आवश्यक 82 भू-अर्जन प्रकरणों में से66 ग्रामों की भूमि अभी तक अधिग्रहीत की गई है, शेष 16 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई 780 किलो मीटर है तथा राईजिंग मेन लाइन की कुल लम्बाई 26 कि.मी. है। सन् 2008 से शुरू यह योजना केन्द्र प्रवर्तित त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत शामिल है जिसकी लागत 418.50 करोड़ रुपये है। समयबद्ध कार्यक्रम के तहत इस योजना को तीन चरणों में पूर्ण किया जाना है और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप योजना का प्रथम चरण पूरा कर लिया गया है। इस योजना के तहत् ग्राम भादलीखेड़ा केनूद एवं दुधवास/कोलगांव में कुल तीन तालाब (बैलेन्सिंग रिजर्वायर) का निर्माण भी होना है, जिसमें से ग्राम भादलीखेड़ा स्थित जलाशय निर्माण कार्य पूरा हो गया है। ग्राम केनूद स्थित तालाब का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं ग्राम दुधवास/कोलगांव स्थित जलाशय के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है तथा राइजिंग मेन की लम्बाई 21 कि.मी. है जिसमें से अभी तक लगभग 16 कि.मी. से अधिक कार्य पूरा किया जा चुका है। इन्हीं तालाबों से 74 वितरण शाखाएं, 117 उप तथा 43 लघु वितरण शाखाएं डाली जायेंगी।

प्रथम चरण - इस योजना के तहत कन्ट्रोल स्ट्रक्चर में

निर्मित जैकवेल पर 1600 हार्स पावर क्षमता के पम्पों द्वारा2 मीटर व्यास वाली लगभग 1200 मीटर लम्बाई के स्टील की राईजिंग मेन पाईप लाइन के जरिये 282 मीटर लेवल तक ग्राम भादलीखेड़ा के निकट बैलेसिंग रिजर्वायर (तालाब क्रमांक 1) में जल एकत्र किया जाकर, ग्राम फीफरीमाल से पीपलकोटा के बीच 10300 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत पाईप लाइन से सिंचाई हेतु जल आपूर्ति की जाने लगी है तथा शेष 2316 हैक्टेयर क्षेत्र में शीघ्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह चरण लगभग पूर्णता की ओर है और निर्धारित लक्ष्य अनुसार आगामी रबी फसलों के लिए सिंचाई सुविधा मुहैया करा दी जावेगी।

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना से प्रथम चरण में लाभान्वित होने वाले विभिन्न ग्रामों में से लगभग 400 की आबादी वाले एक छोटे से ग्राम पंधानाठेका के 35 वर्षीय कृषक श्री कैलाश पिता श्री गजराजसिंह ने उत्साह से बताया कि उन्होंने रबी मौसम में पहली बार 10 एकड़ जमीन में गेहूँ की बुवाई की है। इसके पहले वे केवल खरीफ फसल ही ले पाते थे और उनके खेत का कुआं सूख जाता था, फिर उन्हें रोजगार की तलाश में आस-पास के गांवों में जाना पड़ता था। अब पर्याप्त और चौबीसों घंटे पानी मिल रहा है, इसलिये आशा है कि गेहूँ के बाद गर्मी में कपास की बुवाई करेंगे। जबकि 40 वर्षीय श्री मनोहर पिता श्री नत्थू बताते हैं कि उन्होंने 7 एकड़ में गेहूँ/चना बोया है और खेत में निर्मित अपने मकान के आंगन में भी सब्जी लगाने का इरादा है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से इतना पर्याप्त जल सिंचाई के लिए हमें मिल सकेगा। अब तो हमारा भाग्य ही जग गया है। इसी प्रकार 35 वर्षीय रामनारायण पिता श्री रघुनाथसिंह बताते हैं कि उन्होंने उनकी 7 एकड़ भूमि में से केवल 5 एकड़ भूमि में ही गेहूँ/चना बोया है। पहले से ही सूखी पड़ी दो एकड़ पड़त जमीन को भी इस बार हल से बखरने के बाद उसे खेती योग्य बना लेंगे। इसी प्रकार लगभग एक हजार की आबादी वाले ग्राम चिक्टीखाल और लगभग 500 की आबादी वाले ग्राम तेलियामाल के 35 वर्षीय कृषक श्री चेतराम गोयल पिता श्री गोपाल गोयल (कृषि भूमि 10 एकड़), 50 वर्षीय कृषक श्री राजाराम पिता श्री बाबूलाल (कृषि भूमि 7 एकड़), 47 वर्षीय कृषक श्री प्रेमसिंह पिता श्री छज्जूलाल (कृषि भूमि 10 एकड़), और 60 वर्षीय कृषक श्री भीमसिंह पिता श्री रामाजी (कृषि भूमि 7 एकड़) ने पृथक-पृथक चर्चा के दौरान बड़े ही उत्साह से बताया कि हमने नारा तो बहुत बार सुना और पढ़ा था कि - 'हर खेत को पानी और हर हाथ को काम' सरकार देगी लेकिन हमें खुशी हुई जब हमने अपने गांव में ही नहीं बल्कि आस-पास भी इस नारे का मूर्त रूप देखा। हम लोग वर्षा आश्रित खेती पर निर्भर रहते हुए इसे अपनी नियति ही मान बैठे थे। खेती से जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिलता था उससे गुजारा तो नहीं हो पाता था इसलिये हमें गेहूँ, सोयाबीन काटने के काम के लिए अन्यत्र गांवों में जाना पड़ाता था। अब तो पानी की ऐसी व्यवस्था सरकार ने कर दी है कि बारह महिनों हमें अपने खेत के काम से ही फुर्सत नहीं मिल सकेगी। हमारे घर के लोग भी खेती के काम में हाथ बंटायेंगे। हमारी आमदनी बढ़ेगी, जीवन स्तर भी सुधरेगा और हमें अब रोजगार के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा। हमने अपने जीवन में पहली बार अपने खेत में एक साल में दूसरी बार फसल बोई है। कृषकों ने यह भी विशेष रूप से बताया कि सिंचाई के लिए हमें कोई पम्प सेट या बिजली की मोटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती बस केवल वाल्व खोल देने भर से पूरे वेग से पानी आ जाता हैं।

द्वितीय चरण - द्वितीय चरण में पानी 304.00 लेविल तक पम्प कर केनूद के निकट बेलेंसिंग रिजर्वायर क्रमांक 2 से 12000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जावेगी। यह चरण परियोजना के कार्य प्रारंभ होने के आगामी ढाई वर्षों में पूर्ण किया जावेगा। इस चरण में कुल 39 ग्राम लाभान्वित होंगे और मूंदी नगर को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा।

तृतीय चरण - तृतीय चरण में ग्राम कोलगांव के निकट बेलेन्सिंग रिजर्वायर क्रमांक 3 का निर्माण कार्य अतिशीघ्र हाथ में लिया जा रहा है। इससे 324 मीटर लेवल से लगभग 11 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी। इस चरण का लक्ष्य परियोजना के कार्य प्रारंभ होने से आगामी तीन वर्षों में पूर्ण कर लिया जावेगा। इस चरण में 28 ग्राम लाभान्वित होंगे।

❑ ए. कमर

रिजफरो पद्धति से फसल उत्पादन डेढ़ गुना बढ़ा

सागर जिले के कृषक श्री रामविशाल श्रीवास्तव का गांव भौंहारी मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना की सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र में है। श्री रामविशाल को कृषि वैज्ञानिकों ने बोवनी की आधुनिकी तकनीक रिजफरो के बारे में बताया, उन्होंने रिजफरो पद्धति से एक एकड़ खेत में सोयाबीन बोया पहले एक एकड़ में बोने के लिए 50 किलो बीज लगता था लेकिन रिजफरो पद्धति से केवल 35 किलो बीज लगा। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों की, सभी सलाह मान कर गहरी जुताई कर बोवाई की, समय पर नींदानाशक डाला और समय पर खाद का उपयोग किया, पहले उनके खेत से 7 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिलता था, लेकिन रिजफरो पद्धति से उन्हें 11 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिला। सोयाबीन में फलियाँ भी अधिक लगीं और दानों में चमक भी पहले से ज्यादा रही। इस सफलता से उत्साहित होकर श्री रामविशाल ने उड़द में भी आधुनिक कृषि पद्धतियों का उपयोग किया। इसके भी अच्छे परिणाम मिले। परियोजना के कृषि विशेषज्ञ श्री पी.के. जैन ने बताया की गांव के अन्य कृषक भी आधुनिक कृषि पद्धति अपना रहे हैं। कृषकों को आधुनिक कृषि यंत्रों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कृषि अभियांत्रिकी यंत्र विभाग ने गांव में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर आधुनिक कृषि यंत्रों के संचालन का प्रदर्शन कर कृषकों को प्रेरित किया। कृषकों को ड्रिप इरीगेशन, जैविक कृषि और सब्जी, फलों के उत्पादन की भी जानकारी दी जा रही है।

❑ चन्द्रशेखर साकल्ले

देवगढ़ में अब नहीं जाता कोई खुले में शौच

गुना जिले का आदिवासी बहुल ग्राम देवगढ़ आज पूरी तरह से खुले में शौचमुक्त है। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर गुना विकासखण्ड के इस ग्राम में भी अन्य गाँवों की तरह वर्षों से लोग खुले में शौच करते थे। आज इस ग्रामलोगों का जीवन बदल गया है। ग्राम के सभी 123 परिवार ने स्वयं के खर्चे से सामुदायिक संसाधनों का उपयोग कर घरों में शौचालय बनवा लिये हैं। अब इस ग्राम से प्रेरणा लेकर जिले के अन्य 35 ग्राम भी खुले में शौचमुक्त बन गये हैं।

ग्राम देवगढ़ के नौजवान श्री देवीलाल पटेलिया ने ग्राम के लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। उन्हें बताया गया कि खुले में शौच से संक्रामक बीमारियाँ फैलती हैं और विभिन्न माध्यमों से उनके घर में बीमारियाँ आती हैं। इस बात को समझते हुए ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि हम इस कुप्रथा को समाप्त करेंगे।

ग्रामीणों के प्रयास को देखते हुए जिला प्रशासन एवं यूनीसेफ के अधिकारियों ने मिलकर ग्राम को खुले में शौचमुक्त करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई। कार्ययोजना के तहत ग्राम के सभी123 परिवारों को स्वयं के व्यय से एवं सामुदायिक संसाधनों का उपयोग कर घर में शौचालय का निर्माण कर उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। ग्रामीणों ने इन शौचालयों के निर्माण पर अपनी क्षमता के आधार पर 1000 से 6000 रुपये तक खर्च किए हैं।

❑ दीपक शर्मा

भरपूर सिंचाई से लहलहाईं फसल

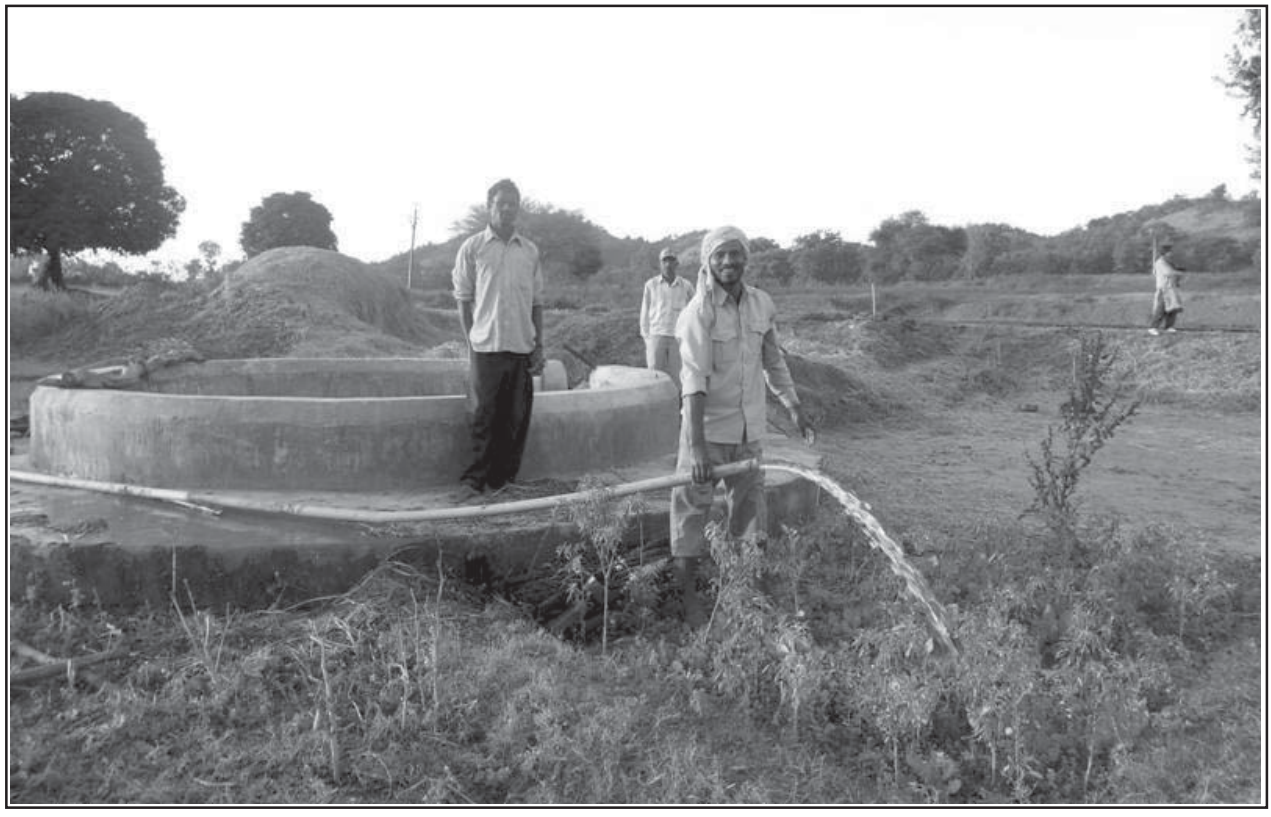

मानव जीवन में पानी का काफी मोल है। जिसके पास होता है पानी वह पानीदार है और लाभ कमाता है और जिसके पास पानी के संसाधन नहीं हैं वह भगवान भरोसे होता है। किसानी करने के लिए पानी की आवश्यकता किसी से छिपी नहीं है। सीधी जिले की ग्राम पंचायत भगोहर के किसान सोभनाथ साहू पिता वासुदेव साहू कहते हैं कि बिना सिंचाई के खेती में की गई मेहनत का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। खेती को समय पर पानी की उपलब्धता होने पर सिंचाई कर दी जाती है, तो खेती लहलहा उठती है। कपिलधारा कूप के मिलने के बाद मेरी किस्मत भी लहलहा उठी है। इसी का परिणाम है कि मैंने खेती की अच्छी पैदावार तो ली ही साथ ही साथ खाली पड़ी जमीन पर सब्जियां भी उगा रहा हूँ। कुएं में ईश्वर की दया से बढ़िया पानी मिल गया है।

बेतहाशा पड़ती इस गर्मी में लोग पीने के लिए पानी भी इस कुएं से ले जाते हैं। कुएं के पास लगी यह सब्जियां फिलहाल घर के खाने में उपयोग होती हैं। इस बार बड़े पैमाने पर सब्जी की पैदावार करने का मन बनाया है। पहले इन खेतों में केवल कोदो कुटकी ही पैदा हो पाती थी। सिंचाई का साधन मिल जाने के बाद गेहूं, धान, अरहर आदि भी उपजा रहा हूँ। उपयंत्री श्रीमती सरिता सिंह ने बताया कि सोभनाथ साहू के यहाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-मध्यप्रदेश की उपयोजना कपिलधारा कूप निर्माण वर्ष 2010-11 में कराया गया है। जिसकी कुल लागत 2 लाख 37 हजार है। उक्त कार्य से 1 हजार 5 सौ 52 दिवसों का मानव दिवस अर्जित किया गया है। ग्राम सरपंच श्रीमती तारा शर्मा ने कहा कि श्री साहू मेहनती किसान हैं वह इस कूप का उपयोग करके अपने खेती तो सींच ही रहे हैं। साथ ही साथ इस कूप की बदौलत ग्रामीणों को पानी की समस्या होने पर कार्यक्रम आदि में पीने तथा निस्तार के लिए पानी भी मिल रहा है। हर समस्या का निदान बनकर महात्मा गांधी नरेगा का यह कपिलधारा कूप निर्माण कार्य खेती को लाभ का धन्धा बनाने में कारगर रहा है। कार्य में स्थानीय निवासी शिवचरण, रमेश, गुलबिया, रामकरण, श्यामलाल, ममता तथा रामप्रताप आदि ने रोजगार के अवसर पाये हैं। कूप की उपयोगिता का लाभ सभी को मिल रहा है।

❑ शिव प्रसाद सोनी

अत्याधुनिक चिकित्सा इकाईयों का हुआ लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों राजधानी भोपाल स्थित जयप्रकाश अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा इकाईयों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों से बेहतर बनाने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीहोर जिले में आयोजित मुख्यमंत्री निकाह योजना कार्यक्रम में 178 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छिन्दवाड़ा में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय में 75 लाख रुपये की लागत से निर्मित 50 सीटर कन्या छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने भोपाल में गोलघर स्मारक में संग्रहालय का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्री ने भोपाल में इनोवेटिव मॉडल प्रदर्शनी सृजन 2013 का शुभारम्भ भी किया।

मुख्यमंत्री ने किया अत्याधुनिक चिकित्सा इकाईयों का लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों जय प्रकाश हॉस्पिटल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण, मशीन तथा सुविधाओं से युक्त नव बाल्य एवं शिशु रोग इकाई, हीमो डायलिसिस यूनिट, माड्यूलर शल्य क्रिया कक्ष तथा गहन चिकित्सा इकाई का लोकार्पण किया। अस्पताल का निरीक्षण करते हुए श्री चौहान ने यहाँ की व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि अन्य आवश्यक

जरूरतें पूरी कर इसे अत्याधुनिक आदर्श अस्पताल बनाया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों से बेहतर बनाने की प्रक्रिया जारी है। जे.पी. हॉस्पिटल इसका उदाहरण है। डायलिसिस केन्द्र, गहन चिकित्सा इकाई तथा नवजात शिशु वार्ड की चिकित्सा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुये उन्होंने अस्पताल की अन्य आवश्यकताओं का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने गहन चिकित्सा इकाई में वेंटीलेटर की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान श्री चौहान ने अस्पताल का मॉडल किचन भी देखा। यहाँ मरीजों के भोजन की गुणवत्ता जाँची। धात्री माताओं को पोषण आहार के रूप में दिये जाने वाले गुड़ के लड्डू का स्वाद भी चखा। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण भोजन हमेशा बने इसके लिये निरीक्षण ठीक से होना चाहिये। श्री चौहान ने अस्पताल के टीकाकरण कक्ष, मदर्स वार्ड का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मरीजों से चर्चा कर अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निःशुल्क दवा वितरण की जानकारी लेते हुये श्री चौहान ने मरीजों से पूछा कि किसी को बाजार से दवा लाने की जरूरत तो नहीं पड़ती। सभी मरीजों ने निःशुल्क दवा प्राप्त होने पर संतुष्टि व्यक्त की।

राज्य सरकार सर्वधर्म समभाव से कर रही है कार्य

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों सीहोर जिले के दो सामूहिक निकाह कार्यक्रम में पहुँचकर 178 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री आष्टा में153 और नसरुल्लागंज के ग्राम कलवाना में 25 मुस्लिम जोड़ों के निकाह कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रमों में कहा कि राज्य सरकार सर्वधर्म समभाव से कार्य कर रही है। सरकार जहाँ हिन्दू रीति-रिवाजों से कन्यादान कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, वहीं मुस्लिम समाज में निकाह की रस्में भी अदा करवा रही है। सरकार का यह प्रयास साम्प्रदायिक सद्भाव और एकता की मिसाल है।

मुख्यमंत्री ने किया कन्या छात्रावास का उद्घाटन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शासकीय सेवाओं में 50 प्रतिशत पदों पर बेटियों का चयन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि बेटियाँ पढ़-लिखकर स्व-रोजगार भी स्थापित कर सकती हैं। मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना से उन्हें मदद मिलेगी। बेटियों को सशक्त बनाने राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। श्री चौहान गत दिनों छिन्दवाड़ा में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय में गांव की बेटी सम्मेलन में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महाविद्यालय में 75 लाख रुपये की लागत से निर्मित 50 सीटर कन्या छात्रावास भवन लोकार्पित किया।

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं में से635 को 'गाँव की बेटी' योजना का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्या महाविद्यालय में एक और 50 सीटर छात्रावास भवन बनाया जायेगा। महाविद्यालय में आवश्यकता को ध्यान में रखकर अतिरिक्त कक्ष और शिक्षकों का इंतजाम किया जायेगा।

संस्कृति मंत्री ने किया गोलघर संग्रहालय का शुभारंभ

संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने गत दिनों भोपाल के शाहजहांनाबाद में बने गोलघर स्मारक में संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम भी उपस्थित थे। संग्रहालय में नवाबकालीन अभिलेख जैसे नवाब हमीदउल्ला का पासपोर्ट, शायरियाँ व प्रमुख पत्राचार प्रदर्शित किये गये हैं। इसके साथ ही नवाबकालीन बर्तन, बाँट पानदान, तश्तरियों आदि का प्रदर्शन भी किया गया है। संग्रहालय में नवाबकालीन कला, संस्कृति, सामाजिक जीवन की झलकियाँ दिखती हैं। नवाबकालीन कला, सामाजिक जीवन, हस्तशिल्प, शायरी, संगीत और खान पान को दर्शाने के लिए ही इस स्मारक को संग्रहालय का रूप दिया गया है। गोलघर का निर्माण नवाब शाहजहाँ बेगम ने करवाया था। यह गोलाकारभवन दो दर्जन

दरवाजों से युक्त है। इसके गोल भाग में सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की ओर जाती हैं। ऊपरी कक्ष में गुम्बद है। स्तम्भ गोल और दरवाजे अंलकृत हैं। गुम्बद में बैंगनी, पीला, नारंगी, लाल, भूरा और हरे रंग के उपयोग से चित्रकारी की गई है। ऊपर की ओर गोलाकार बरामदा है, जो टीन की शीट से आच्छादित है, जिन्हें लकड़ी के खम्भों पर आधारित किया गया है। मूल रूप से इसमें पर्शियन शैली का बगीचा था जिसे जन्नत बाग के नाम से जाना जाता था।

रिसर्च और नवाचार में युवाओं का रुझान शुभ संकेत

तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि रिसर्च और नवाचार में युवाओं का बढ़ता रुझान मध्यप्रदेश को तकनीकी क्षेत्र में देश और दुनिया में स्थापित करेगा। श्री शर्मा ने गत दिनों भोपाल स्थित रवीन्द्र भवन में इनोवेटिव मॉडल प्रदर्शनी सृजन 2013 का शुभारंभ किया। श्री शर्मा ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा को प्रदर्शित करने में ऐसी प्रदर्शनियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदर्शनी में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र के संस्थानों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। प्रदेश की युवा प्रतिभाओं की उनके उल्लेखनीय कार्यों से देश और विदेश में सराहना हुई है। आई.आई.टी. मुम्बई के प्रोफेसर डॉ. दीपक फाटक भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा बनाये गये मॉडल का अवलोकन किया और उनकी सराहना की।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए दीनदयाल रोजगार योजना

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न विभागों के जरिये कई हितग्राहीमूलक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ विभिन्न वर्ग के लोग ले रहे हैं। इस कॉलम के अंतर्गत हम आम जनता के हित के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रकाशित करते हैं। इस अंक में हम प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए दीनदयाल रोजगार योजना की जानकारी दे रहे हैं।

दीनदयाल रोजगार योजना

उद्देश्य- प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को उद्योग/सेवा/व्यवसाय के क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापना के लिये बैंकों/वित्त संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋण के विरुद्ध अपेक्षित मार्जिन मनी को जमा करने में सहायता करना है।

पात्रता- मध्यप्रदेश के मूल निवासी वे आवेदक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है,10वीं कक्षा या आई.टी.आई. उत्तीर्ण हैं, परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1.50 लाख से अधिक नहीं है और जिनका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है वे योजना के लिये पात्र होंगे।

मार्जिन मनी सहायता- बैंक/वित्त संस्था द्वारा/स्वीकृत परियोजना लागत का उद्योग क्षेत्र में10 प्रतिशत अधिकतम 40000 रुपये सेवा क्षेत्र में 7.5 प्रतिशत अधिकतम 15000 रुपये एवं व्यवसाय क्षेत्र में पाँच प्रतिशत अधिकतम 7500 रुपये मार्जिन मनी स्वीकृत की जा सकती है। वे आवेदक जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक या अधिक है उन्हें उद्योग या सेवा गतिविधि के लिये उपरोक्त निर्धारित प्रतिशत अनुसार अधिकतम सीमा क्रमशः 50000 रुपये एवं 25000 रुपये तक मार्जिन मनी सहायता की पात्रता होगी। मार्जिन मनी सहायता हितग्राही द्वारा लगाई जा रही योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

प्राथमिकता- 1. आईटीआई/डिप्लोमा/इंजीनियरिंग अथवा अन्य मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं से प्रशिक्षित आवेदक। 2. महिला आवेदनकर्ता। 3. उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक। 4. आवेदक द्वारा औद्योगिक गतिविधि की स्थापना। 5. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राही।

पात्र गतिविधियाँ- उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय से संबंधित समस्त उद्यम/गतिविधियां। उद्योग एवं सेवा के अंतर्गत वे गतिविधियाँ मान्य होंगी जो जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पंजीकृत/ मान्य की गयी हों।

आवेदन की प्रक्रिया- निःशुल्क आवेदन पत्र हितग्राही संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तावित गतिविधि की प्रोजेक्ट प्रोफाइल/योजना की प्रति के साथ प्रस्तुत करेंगे।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

उद्देश्य- शिक्षित बेरोज़गार युवकों को स्वयं का उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करवाकर स्वरोज़गार उपलब्ध करवाना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र- इस योजना में शिक्षित बेरोज़गारों को सभी आर्थिक रूप से योग्य गतिविधियों, जिसमें कृषि और सहायक गतिविधियाँ भी शामिल होती हैं, उनके लिये ऋण स्वीकृत किया जाता है। योजना में निषिद्ध कार्यों को छोड़कर अन्य स्वरोजगार योजनाओं का चयन आवेदक को करना होगा।

योजना के अन्तर्गत ऋण एवं सब्सिडी- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये और सेवाक्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा सकेगा। सामान्य वर्ग के आवेदक को दस प्रतिशत मार्जियन मनी जमा करनी होगी और शहरी क्षेत्र के निवासी होने पर 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होने पर 25 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी। इसी तरह (अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग और पूर्वोत्तर, पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्रों सहित) आवेदकों को 5 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा करनी होगी और शहरी क्षेत्र के निवासी होने पर 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होने पर 35 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

पात्र हितग्राही- विनिर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजना लागत के लिए आवेदक न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। आवेदक को दो सप्ताह का उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही बैंक ऋण की पहली किस्त जारी की जायेगी। जो आवेदक पहले ही 2 सप्ताह का प्रशिक्षण ले चुके हैं, उनको प्रशिक्षण से छूट होगी।

हितग्राही चयन प्रक्रिया- जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार कर चयनित प्रकरणों को राष्ट्रीकृत बैंकों को अनुशंसित किया जाता है।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया- स्थानीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर अथवा मैदानी अधिकारियों द्वारा प्रचार-प्रसार करवाकर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

रानी दुर्गावती अनु. जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना

उद्देश्य- प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से सहायता उपलब्ध कराना जिसमें उद्यम के चयन से लेकर प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, विपणन, स्थापना आदि सभी चरणों में सहायता व सघन अनुसरण भी सम्मिलित है।

हितग्राही की पात्रता - इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे हितग्राही पात्र होंगे 1. जिनके पास राजस्व अनुभाग स्तर के अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र हो। 2. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। 3. उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो। 4. किसी शासकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। 5. आवेदक ने पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं उठाया हो।6. परिवार की वार्षिक आय 3.00 लाख रुपये से अधिक न हो। 7. इस योजना का लाभ दो या दो से अधिक शिक्षित बेरोजगारों को साझेदारी/कम्पनी के रूप में दिया जा सकता है। कम्पनी/साझेदार अनुसूचित जाति या जनजाति किसी एक ही वर्ग के होना चाहिये।

प्राथमिकता- योजना में तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के बहुउद्देशीय इंजीनियर योजनान्तर्गत प्रशिक्षत आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके साथ ही 1. हायर सेकेन्ड्री या उससे अधिक योग्यताधारी/आई.टी.आई./डिप्लोमा/इंजीनियरिंग/एमबीबीएस डॉक्टर अथवा अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित आवेदक। 2. महिला आवेदनकर्ता। 3. उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक। 4. आवेदक द्वारा औद्योगिक गतिविधि की स्थापना। 5. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राही। 6. निःशक्तजन विशेषकर माहिला निःशक्तजन को भी प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान किया जाता है।

प्राप्त गतिविधियाँ- उद्योग/सेवा/व्यवसाय से संबंधित समस्त गतिविधियाँ।

योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया- स्थानीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर अथवा मैदानी अधिकारियों द्वारा प्रचार-प्रसार करवाकर जिला उद्योग केन्द्र में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

मार्जिन मनी पात्रता- योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत परियोजना लागत का 30 प्रतिशत या 15 लाख रुपये जो भी कम हो तक मार्जिन मनी अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में प्रशिक्षण हेतु भी आर्थिक सहायता दी जाती है।

(स्रोत : आगे आयें लाभ उठायें - नवम्बर 11)

गर्मियों के महीने में सिंचाई जल की बचत ऐसे करें

गर्मियों के मौसम में अधिकांश कुओं का जल-स्तर काफी नीचे आ जाता है ऐसे में ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई के लिए पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि इस मौसम में फसलों की सिंचाई शाम के समय करें ताकि वाष्पीकरण से जल का नुकसान कम से कम हो।

पंचों, तेज गर्मी का मौसम आ गया। दोपहर में तेज गर्म हवाओं की लपट चलनी शुरू हो गई। अधिकांश कुओं का जल स्तर बहुत नीचे उतर गया है। कई कुओं की सिंचाई करते समय तलहटी दिखने लगी। बारिश के मौसम के लिये अभी कम से कम डेढ़ माह का समय बचा है। जायद की मूँग, उड़द एवं अन्य सब्जी की फसलें बोई हैं, उन्हें उपलब्ध सिंचाई जल का बड़ी कुशलता से समुचित उपयोग करने की जरूरत है। फसलों की सिंचाई यथा संभव शाम के समय करें। ताकि वाष्पीकरण से जल का नुकसान कम से कम हो। सिंचाई में आप एक काम और कर सकते हैं - सिंचाई की नालियों में बूँद-बूँद टपका कर एप्सा-80 नामक रसायन का तीव्र घोल दें। इस रसायन के प्रयोग से मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। सिंचाई नाली के ऊपर एक मिट्टी के घड़े में दस लीटर पानी में एक सौ मि.ली. एप्सा-80 का घोल बनाकर, घड़े के नीचे बारीक छेद कर सुतली डालें। बूँद-बूँद यह घोल सिंचाई जल के साथ पूरे खेत में फैलायें। इससे सिंचाई का अंतराल ज्यादा दिनों तक खींचा जा सकता है। इस तरह सिंचाई जल की कुछ सीमा तक बचत की जा सकती है। सिंचाई जल के वाष्पीकारण को कम करने के लिये फसल अवशेषों की मल्चिंग भी फसलों के बीच की जा सकती है।

बरसात में फलदार पौध रोपण के लिये गड्ढे अभी बनायें

पंचों, गर्मियों का मौसम फलदार पौधों के रोपण हेतु गड्ढे बनाने के लिये सबसे उपयुक्त है। आगामी वर्षाकाल में फलदार पौधे रोपने के लिये गड्ढे अप्रैल-मई माह में बनायें। ज्यादा बढ़ने वाले पौधे जैसे- आम, आँवला, कटहल इत्यादि के लिये पौध से पौध एवं कतार से कतार दस-दस मीटर की दूरी रखें। मध्यम आकार में बढ़नें वाले पौधे जैसे- नींबू, अमरूद इत्यादि के लिये छः से आठ मीटर की दूरी रखें। गड्ढों का आकर एक मीटर लम्बा, एक मीटर चौड़ा एवं एक मीटर गहरा रखें। इस मौसम में तैयार किये गये गड्ढों का गहराई तक शोधन सूर्य की तेज धूप से हो जाता है। जिससे बारिश में रोपे गये पौधों का विकास तेज गति से होता है। फलदार पौधों के गड्ढों का फासला किसी भी स्थिति में छः मीटर से कम न रखें। बेहतर लेआउट के लिये नायलोन की रस्सी का प्रयोग करें।

खेती में नये प्रयोग करें

पंचों, लगभग तीन-चार दशक पहले, जब सिंचाई के साधनों का इतना विस्तार नहीं हुआ था, उस समय हमारी परम्परागत खेती में, प्रमुख रूप से खरीफ एवं रबी दो ही मौसम हुआ करते थे। रबी फसलों की कटाई के बाद, चूंकि सभी खेत खाली पड़े रहा करते थे, इसलिए गाँवों में पशुओं को चरने के लिए खुला छोड़ देने की ऐरा प्रथा थी। धीरे-धीरे, जैसे-जैसे सिंचाई साधनों का विकास हुआ, किसानों रबी के कटाई के बाद या खाली पड़े खेतों में, जायद के मौसम में मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, सूर्यमूखी एवं सब्जी फसलों की खेती करना प्रारम्भ किया। जायद के मौसम का समय मार्च से प्रारम्भ होकर मध्य जून तक होता है। यह हमारे देश प्रदेश में सघन खेती की शुरुआत थी। उल्लेखनीय है कि जायद की इन फसलों की

पैदावार, खुला मौसम होने के कारण लगभग डेढ़ गुनी ज्यादा प्राप्त होती है।

कृषि में अविकसित एवं अर्द्धविकसित जिलों में विशेषकर विध्य क्षेत्र में, अप्रैल माह के बाद पशुओं को चरने के लिए खुला छोड़ देने की ऐरा प्रथा आज भी है। सघन खेती के इस दौर में, हम इसे प्रथा के बजाय कुप्रथा कहेंगे। ऐरा प्रथा की वजह से सिंचाई एवं अन्य संसाधनों के होते हुए भी, कई किसान विवादों से बचने के लिए जायद के मौसम में कोई कृषि कार्य नहीं करते। यह एक राष्ट्रीय क्षति है। शासन की तरफ से भी ऐरा प्रथा के प्रति बन्दिश लगाई गई है, लेकिन कानून बनाकर इस कुप्रथा को रोक पाना सम्भव नहीं है। इस पर नियंत्रण के लिए आपसी समझ, भाईचारे की भावना एवं जनजागरण ज्यादा कारगर होगा। ऐरा प्रथा ने ग्रामीण जीवन में जहाँ कई गंभीर विवादों को जन्म दिया है, वहीं कई बार हत्या जैसे गंभीर अपराध भी ऐरा प्रथा के कारण हुये हैं। चन्द लोगों की यह सोच कि आप अपनी फसल की सुरक्षा करें, हम तो अपने पशुओं को चरने के लिए खुला छोड़ेंगे सरासर गलत है। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। अपने मवेशियों को सम्हाल कर रखें ताकि किसी की फसल को नुकसान न पहुँचे।

ठीक ढंग से हो फसल अवशेषों का उपचार

पंचों, गेहूँ, चना एवं अन्य रबी फसलों की गहाई का कार्य, अब लगभग अपने अंतिम चरण में है। गेहूँ फसल कटाई के बाद, खेतों की सफाई के लिये, फसल अवशेष (नरवाई) में आग लगाकर जला देने का रिवाज, पिछले कुछ वर्षों से ज्यादा ही देखने में आ रहा है। विशेषकर उन क्षेत्रों में, जहाँ गेहूँ की कटाई, मजदूरों की कमी के कारण, मशीनों (मम्बाइन हार्वेस्टर) से की जाती है। वहाँ खेतों में आग लगाकर नरवई नष्ट करने का चलन ज्यादा बढ़ा है। दरअसल कम्बाइन हार्वेस्टर से फसल की कटाई में, ऊपरी बालियों का हिस्सा कटने के बाद, पौधों के डण्ठल का बड़ा भाग, खेत में ही छूट जाता है। जिसकी वजह से जुताई में असुविधा होती है। इस समस्या के तत्कालिक समाधान के लिये कृषक फसल अवशेष में आग लगाकर उसे नष्ट कर देते हैं। इस पर तुरन्त रोक लगाये जाने की जरूरत है। वरना इसके दूरगामी परिणाम बेहद नुकसानदायक सामने आयेंगे।

कटाई के बाद गेहूँ के फसल अवशेष (नरवाई) में आग लगाकर उसे नष्ट करने के पीछे, सिर्फ एक ही तत्कालिक लाभ है। सुविधाजनक जुताई, लेकिन उसके दूरगामी नुकसान कितने हैं, ये आप नहीं जानते। यह सर्वमान्य तथ्य है, कि मृदा या मिट्टी फसलोत्पादन के लिये एक जीवित माध्यम है। उसमें असंख्य मात्रा में जीवाणुओं का वास रहता है। जीवाणुओं से रहित भूमि को ही बंजर भूमि कहा जाता है। जीवित माध्यम होने के कारण ही मिट्टी की गोद में बीज पड़ते ही अंकुर फूट पड़ता है। रोपण और सुरक्षा पाकर, फिर यही अंकुर पौधा और वृक्ष के रूप में वृद्धि कर, हमें फल-फूल देता है। मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पायी जाने वाली, यह जीवनदायिनी शक्ति, खेतों में आग लगाने से नष्ट होती है। सतह पर लगी हुई आग से मिट्टी की एक बीता गहराई का तापमान100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तक पहुँच जाता है। इतने ज्यादा तापमान पर नंगी आंखों से न दिखने वाले, नन्हें जीवाणु कैसे जीवित रह सकते है? अपने हाथ अपने पैरों में कुल्हाड़ी न मारें फसल अवशेषों में आग लगाकर मिट्टी को निर्जीव और बंजर न बनायें।

फसलों से सिर्फ दाना काट कर, भूसे को बर्बाद होने के लिये छोड़ देना खेती एवं पशुपालन के बीच, सनातन प्राकृतिक चक्र को अव्यवस्थित करना है। जिसे किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। भूसा पशुओं के लिये एवं गोबर खेत के लिये प्रकृति द्वारा बनाये गये हैं। मजदूरों की कर्मी या अधिक क्षेत्र विस्तार के कारण, यदि गेहूँ की कटाई-गहाई कम्बाईन हार्वेस्टर से करा रहे हैं, तो डन्ठल खेत में छोड़ कर जलाने या आग लगाने के बजाय, भूसा रीपर की भी व्यवस्था करें। रुपये 200/- से - 300/- रुपये प्रति घंटे की दर पर यह उपलब्ध है। प्रति हैक्टेयर लगभग दो-तीन घंटे का समय लगेगा रुपये600/- से रुपये 700/- के खर्च पर लगभग 20-25 क्विंटल भूसा, जिसकी कीमत लगभग रुपये 3000/- है, प्राप्त की जा सकती है। लाभ-हानि के विचारों से ऊपर उठकर, बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है, कि भूसा हमारे पशुओं के जीवन का आधार है। पशु ही न रहेंगे तो खेती की कल्पना कठिन है।

❑ भानुप्रताप सिंह

गाँवों में चौबीसों घण्टे बिजली वरदान है

संतोष और प्रसन्नता के साथ-साथ हमारे पाठकों में से कई ने इस उपलब्धि पर विस्मय भी प्रकट किया है कि प्रदेश के सभी गाँवों में 'अटल ज्योति अभियान' के अंतर्गत अब दिन-रात बिजली मिलेगी। हमारे एक पाठक रतलाम जिले के धमनार के मुजीब खान ने इसी विषय पर पत्र लिखा है। इसी प्रकार अंजड़ से रणजीत तोनगर गाँवों में चौबीसों घण्टे बिजली खेती के लिये वरदान बताते हैं। आप भी सरकार की योजनाओं पर कुछ कहना चाहें तो हमें पत्र जरूर लिखें।

गाँवों में चौबीस घण्टे बिजली, कमाल है!

सम्पादक जी! पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जब रतलाम पधारे तो उन्होंने रतलाम जिले में भी 'अटल ज्योति अभियान' के तहत चौबीसों घण्टे बिजली की घोषणा की। इस घोषणा से अब मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ही गाँवों में भी बेरोजगार युवा अपना छोटा-मोटा उद्योग कायम कर सकेंगे। गर्मियों में बिना बिजली के गाँवों में जो कष्ट गाँव वालों को उठाना पड़ते थे उससे अब उन्हें निजात मिलेगी यह सोचकर ही हम गदगद हैं।

मुजीब खान
सहायक शिक्षक, धमनार (जिला रतलाम)

भरपूर उत्पादन का समय वापस आयेगा

सम्पादक जी! बड़वानी जिले का ठीकरी से अंजड़ तक का इलाका काली मिट्टी वाला उपजाऊ इलाका है जहाँ हमेशा से कपास की विपुल फसल होती है। अब अटल ज्योति अभियान के तहत यदि बड़वानी जिले में भी चौबीसों घण्टे बिजली मिलती है तो सरदार सरोवर के कारण डूब में आई उपजाऊ भूमि के बदले जो कम उपजाऊ भूमि मिली थी वहाँ भी फिर से भरपूर उत्पादन होगा और अंजड़ से दवारा तक भरपूर उत्पादन का समय लौट आयेगा।

रणजीत तोनगर
वरिष्ठ अभिभाषक, अंजड़ (बड़वानी)

मालवा में लगाये जायें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

सम्पादक जी! पिछले दिनों यह खबर छपी कि मालवा की मण्डियों में खरीदी की कीमत गिरने से टमाटर की फसल जो खलिहान में पड़ी थी वो उचित भण्डारण न होने तथा प्रतिकूल मौसम के कारण खराब हो गई। सरकार को चाहिए कि वो मालवा में जल्दी खराब होने वाली फसलों को बचाने के लिए मालवा में बड़ी संख्या में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना भी करे।

रामनारायण पटेल
सांवेर (जिला इन्दौर)

चिट्ठी चर्चा

सचिवों के लिए अंशदायी पेन्शन योजना की सराहना

राज्य शासन द्वारा पिछले दिनों पंचायत सचिवों के लिए जो कुछ कल्याणकारी निर्णय लिए गए उसकी प्रशंसा में हमें बड़ी संख्या में चिट्ठियाँ मिलीं। इन चिट्ठियों में पंचायत सचिवों और उनके परिजन की चिट्ठियाँ तो थी हीं साथ ही पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भी राज्य शासन के इस फैसले की काफी सराहना की है। अलीराजपुर के 'भगोरिया फेम' गाँव छकतला से मुकाम सिंह किराड़े ने अपनी चिट्ठी में सचिवों को दी गई अंशदायी पेंश योजना को सचिवों के लिए संजीवनी बताया है। मुकाम सिंह जी बताते हैं कि अभी तक तो पंचायत सचिव अपना कार्यकाल पूरा होने पर प्राय; अपने परिवार की आजीविका भी नहीं चला पाते थे।

सेन्धवा से हमारी एक नियमित पाठिका श्रीमती मेघना गुजराती ने पंचायत सचिवों के लिए पंचायत स्तर पर आवास व्यवस्था की भी सराहना अपनी चिट्ठी में की है। मेघना जी का मानना है कि पंचायत सचिवों को आवास सुविधा के साथ ही उन्हें संचार की सभी उपलब्ध सुविधाएं जैसे फोन, लेप टॉप और ब्राडबैंड कनेक्शन भी देना चाहिए ताकि वे समय की जरूरत के अनुसार काम कर सकें। पंचायत सचिवों के व्यापक प्रशिक्षण की बात भी उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी है और खासतौर पर सचिवों को वित्तीय मामलों में अवश्य प्रशिक्षण दिया जाये ताकि ग्रामीण विकास योजनाओं में वित्तीय गड़बड़ी से बचा जा सके।

इस माह हमें एक चिट्ठी छैगाँवमाखन से अखिलेश पारे की भी मिली है जो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की नहरों और उप नहरों की स्थिति की सतत मानीटरिंग जिला एवं जनपद पंचायतों द्वारा किये जाने की बात करते हैं। पारे जी अपनी चिट्ठी में यह भी लिखते हैं कि सिंचाई नहरों एवं उपनहरों को अंतिम रूप से स्वीकृति देने के पहले उस क्षेत्र की पंचायतों से भी राय ली जाये तथा यदि संभव हो तो उस पर ग्रामसभा में चर्चा भी की जाये। खरगोन जिले के भगवानपुरा जनपद मुख्यालय से श्री अशोक डण्डीर ने अपनी चिट्ठी में 'मनरेगा' निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के लिए लोकपाल व्यवस्था को और भी सुचारू बनाने तथा ग्रामसभा द्वारा अपना एक पृथक जाँच दल गठित करने की सलाह दी है।

❑ आशीष त्रिपाठी

बात पते की -

सेहत का ध्यान

जनता की सेहत का भी है सरकार को ध्यान।
जननी सुरक्षा साथ में, है 'ममता' अभियान।।
कैंसर की पड़ताल का होने लगा 'निदान' -
'आस्था' का अभियान भी सेहत का उन्मान।।

राजेश शर्मा
राजहर्ष कॉलोनी, भोपाल

माह का पत्र

बिजली की बचत भी सिखायें

सम्पादक जी! प्रदेश में इस समय बड़े पैमाने पर चौबीसों घण्टे बिजली की उपलब्धता के लिए 'अटल ज्योति अभियान' चलाया जा रहा है। इस अभियान से गाँवों में विकास का एक नया अध्याय आरम्भ होगा। इस अभियान से जब गाँवों में विपुल मात्रा में बिजली उपलब्ध होगी तो गाँवों में बिजली उपभोक्ता बिजली का दुरुपयोग न करें इसलिये उन्हें बिजली की बचत का गुर भी सिखाना होगा तभी अटल ज्योति अभियान सफल होगा।

श्रीमती निशा शुक्ला
11/01, भवानी सागर, देवास (म.प्र.)

कृपया बताएं

प्रिय सरपंच जी, जैसा कि आप जानते ही हैं 'कृपया बताएं' कॉलम में हम आपको हर माह किसी एक योजना का नाम सुझाते हैं। आप उस योजना के बारे में पंचायतों द्वारा क्या किया गया है तथा क्या और किया जा सकता है उस बारे में स्वतंत्र टिप्पणी लिख सकेंगे। उस टिप्पणी के नीचे अपना नाम, पदनाम, ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत का नाम, जिला पंचायत का नाम तथा भेजने की तारीख अवश्य लिखें। इस स्तम्भ में हमें पाठकों से बड़ी संख्या में प्रविष्टियाँ मिलने की उम्मीद रहती है। पंचायत राज संस्थायें अधिकांश सरकारी योजनाओं के संचालन में नोडल एजेंसी का कार्य करती हैं। इस दृष्टि से किसी भी सरकारी योजना के क्रियान्वयन में सबसे प्रभावी टिप्पणी पंचायत राज संस्था की होती है। उम्मीद है इस विषय में हमारे पाठक एवं पंचायत प्रतिनिधि आगे बढ़कर सहयोग देंगे।

मई 2013 के लिए इस बार विषय है -

क्या आपकी ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया?

माह की कविता

विकास त्रयी

विकास का कोई,
विकल्प नहीं।
सच से बड़ा कोई,
संकल्प नहीं।।
सिर पर जब हो,
सरकार का हाथ-
इफरात ही, इफरात है,
कोई अल्प नहीं ।।1।।
जन सहयोग से बड़ा,
कोई साथ नहीं।
कानून से लम्बा,
कोई हाथ नहीं।।
मेहनत ही सम्बल है,
बल भी है जन-जन का -
विश्वास हो तो कोई
अनाथ नहीं ।।2।।
हम अपनी समृद्धि,
विकास दर से तौलते हैं।
विश्वास की गठरी,
वक्त आने पर खोलते हैं।।
सरकार ने साकार किया,
जनकल्याण का सपना -
यह हम नहीं विकास के,
आँकड़ें बोलते हैं ।।3।।

निखिल शाह
33-राधाकृष्ण विहार, इन्दौर

हमारा पता

सम्पादक
'मध्यप्रदेश पंचायिका'
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल,
भोपाल - 462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने दो सौ रुपये के ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मुद्रण : मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल